Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंथ 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का बतीसवां दिवस [संख्या 24

मंगलवार,

दिनांक 2 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, खाद्य, वित्त, खनिज, स्वायत्त शासन, पुनर्वास, राजस्व, जन स्वास्थ्य, वन, आर्थिक एवं सांख्यिकीय, रसद, आबकारी, कृषि, देवस्थान विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री चिम्मनसिंह भाटी !

ग्राम पंचायत गोहाना का ऑडिट

626. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत गोहाना का वर्ष 1965 से आज तक कितनी बार किस-किस सन् में ऑडिट व निरीक्षण किया गया ? सनवार तिथियां बतलाई जायं।

(2) ग्राम पंचायत, गोहाना, पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) के सरपंच विजयसिंह के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं ? उन आरोपों की जांच से क्या नतीजा निकला ?

(3) सरपंच श्री विजयसिंह के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप होने पर भी 10 साल तक उसके विरुद्ध कार्यवाही न होने का क्या कारण है जब कि यह प्रश्न गत सत्र में भी 30 मार्च, 1973 के सदन में आ चुका है ?

पंचायत मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) :(1) ग्राम पंचायत, गोहाना का वर्ष 1965-66 से वर्ष 1967-68 तक का ऑडिट करवाया गया है। इसके बाद 68-69 से 72-73 वर्ष तक का ऑडिट नहीं करवाया है। इसी तरह सरपंच द्वारा वर्ष 1965 से किसी भी अधिकारी से निरीक्षण नहीं करवाया गया है।

(2) ग्राम पंचायत गोहाना के सरपंच श्री विजयसिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। आरोपों की जांच हेतु एस. डी. ओ., ब्यावर को विभागीय पत्र दिनांक 19-9-73 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) जिलाधीश से इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 9-2-73 को प्राप्त हुई थी। इस पर सरपंच को आरोप-पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन किये जाने पर एस. डी. ओ., ब्यावर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री चिम्मनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सरपंच पर जो आरोप लगाये गये हैं वे गम्भीर हैं और अब यह जांच एस. डी. ओ. ब्यावर को दी गयी है। यह इन्क्वायरी अब तक पूर्ण नहीं हुई है इसका क्या कारण है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंच अमर हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले जाँच अधिकारी एस. डी. ओ., अजमेर को लगाया गया जो गलत बता दिया गया। यह सूचना देने पर कि ब्यावर के एस. डी. ओ. को जांच के लिए लगा दीजिये उनको जाँच के लिए मामला दिया गया है। 15 दिन हुए हैं, कार्यवाही करके बतायेंगे।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : एक साल में भी कोई कार्यवाही नहीं की। क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. इनसे मिला हुआ है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एस. डी. ओ. मिले हुए हैं तो इन्क्वायरी ऑफिसर को चैन्ज कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्री भीमसेन : प्रश्न संख्या 627

एक माननीय सदस्य : ये कान्ता कथूरिया हैं क्या ?

श्री भीमसेन : मुझे ऑथोरिटी दी है उन्होंने।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेक्स का नया रूप है।

श्री अध्यक्ष : हाल ही में अधिकृत किया गया है।

बीकानेर जिले में लेवी के अन्तर्गत अनाज की वसूली

627. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) [**श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) की अनुपस्थिति में] : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में पिछले तीन वर्षों से निरन्तर अकाल एवं सूखे की स्थिति रही है ?

(2) पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष 1973 में बीकानेर जिले में बाजरा व मोठ की अनुमानित उत्पादन मात्रा क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि इस अभाव-ग्रस्त इलाके के भी किसानों से उतनी ही

(श्री भीमसेन)
मात्रा में लेवी वसूल की जा रही है जितनी कि सघन कृषि वाले क्षेत्रों से ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले के किसानों की लेवी देने की क्षमता से सन्तुष्ट है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) बीकानेर जिले के कुछ भागों में पिछले तीन वर्षों में अकाल एवं सूखे की स्थिति रही है।

(2) पिछले तीन वर्ष की तुलनात्मक उत्पादन तालिका निम्नलिखित है :

(मात्रा मैट्रिक टनों में)

क्रमांक	वर्ष	बाजरा	मोठ
1.	1971-72	19,049	34,142
2.	1972-73	927	11,749
3.	1973-74	40,513	67,733

(3 व 4) अभाव वाले क्षेत्रों में या जहां जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां लेवी वसूली में छुट देने के अधिकार जिलाधीश को हैं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सरकार ने जमीन की प्रति बीधा उत्पादन क्षमता को ध्यान में न रख कर समान रूप से लेवी वसूल करने का जो फैसला किया उसके कारण यह नहीं है ?

श्री खेतसिंह : जिस क्षेत्र में 1 हैक्टर से कम है जमीन तो वहां पर कोई लेवी नहीं है। एक हैक्टर से अधिक है तो 25 किलो। मक्का पर चार हैक्टर पर कुछ भी लेवी नहीं और 4 हैक्टर से ऊपर और ज्वार पर भी चार हैक्टर से ऊपर पर 40 किलो लेवी रखी गयी है।

श्री गोपाल जोशी : बीकानेर ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर फसल नहीं हुई है और बाकामर में उत्पादन किया गया है। वहां पर भी गंगानगर, भरतपुर, कोटा की तरह ही समान रूप से लेवी वसूल की गई है..। जहां पर एक फसल ही पैदावार है और दो फसल की पैदावार नहीं है वहां पर भी उतनी ही लेवी जितनी कि दो फसली इलाकों में वसूल की गई है। दूसरा बीकानेर में डिफरेन्स लेवी का वसूल किया गया है लेवी की कीमत और बाजार भाव की कीमत के अनुसार वसूल की गई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बीकानेर जिले और दूसरे जिले जो फेमीन स्ट्रिकन एरियाज हैं उनमें लेवी वसूल की गई है। यही नहीं, जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर पर हैक्टर एक्जम्पशन फ्री है वह क्या सफिशियेंट है ? जब तक 100 बीघा जमीन न हो तो कोई कल्टीवेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। 15 बीघा जो निर्धारित की गई है। 75 पर्सेन्ट एक्जम्प्शन दे रहे हैं वह इनसफिशियेण्ट है। 1 हैक्टर का किसी के कोई खेत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि एक्जम्प्शन नहीं देते।

श्री जगमोहनसिंह : ज्वार, बाजरा, मक्का ये तो खरीफ की फसल के हैं,

(श्री जगमोहनसिंह)
यह तो फसल समाप्त हो गई । रबी की फसल 1-1½ महीने में चालू होने वाली है। क्या अभी भी लेवी को चालू रखना वाजिब हैं ?

श्री भीमसेन : मन्त्री महोदय मौन धारण किये हुय हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मन्त्री महोदय क्या यह सही है कि लेवी वसूल करने का तात्पर्य बफर स्टॉक क्रीयेट करना था । आपके लेवी कलेक्शन अधिकारियों ने जगह-जगह डिफरेन्स वसूल किया है और पटवारियों के हाथ में दे दिया है। क्या यह भी सही है नोहर, भादरा, सूरतगढ़ में अलग-अलग पटवारियों के थाने बैठे हुये हैं, बाजार भाव बना कर 72 के भावों में नकद करके डिफरेन्स वसूल किया ?

क्या इससे लेवी का सिद्धान्त डिफीट नहीं हुआ ? क्या मन्त्री महोदय को सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लेवी में अन्तर नहीं नजर आया। नोहर, भादरा और लूणाकरनसर में कोई लेवी वसूली में अन्तर नहीं नजर आया ?

श्री अध्यक्ष : Do not make long supplementary.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक तीसरा सप्लीमेन्टरी मेरा यह है कि ब्यूरोक्रेसी हथकण्डे अपना कर क्या लेवी के परपज को ही डिफीट नहीं करना चाहती है ?

श्री लूणाराम : फेमीन जहां पर बताया वहां पर भी आपने लेवी वसूली की है। मन्त्री महोदय, जिलाधीश बीकानेर को कहेंगे कि जितने उनके पास इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि उनके अनाज नहीं हुआ उनको जांच करके उनको माफ किया जाय। यह बताया जाय कि कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होकर जिलाधीश द्वारा स्वीकार हुये हैं और कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकार ।

श्री केदारनाथ : ह्वीट के प्रोक्योरमेन्ट के बारे में केन्द्र ने फैसला कर लिया तो फिर बाजरा, मक्का, ज्वार का प्रोक्योरमेन्ट लेवी की वसूली का कोई सेन्स ही नहीं है।

श्री खेतसिंह : लेवी वसूली का जो मापदण्ड रखा गया था उस बारे में प्रश्न मन्त्री मण्डल में आया था और उसी के आधार पर तय किया गया था कि चार किलो लेवी पर बीघा के हिसाब से ली जाय यानि 24 किलो प्रति हैक्टर। यह कोई किसान पर बोझ जैसी बात नहीं थी। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर जैसे एरिया को भी ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया था। अब चूंकि ज्वार एक बीघा में अनुपात से ज्यादा पैदा होती है इसलिये यह थोड़ा ज्यादा रखा गया। कृषि विशारदों का यह मत है कि ज्वार और चीजों के मुकाबले प्रति बीघा ज्यादा उपज देती है। तो इन सारे पहलुओं पर विचार करके यह कम से कम लेवी की मिकदार तय की गई थी।

अब वाड़मेर से आने वालों ने यह पूछा कि जिस समय लेवी वसूली की गई उस समय जिलाधीश ने ध्यान रखा या नहीं कि इस गांव में उपज हुई

(श्री खेतसिंह)
या नहीं । मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि इसके उपरान्त भी हमने जिलाधीशों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर किन्हीं कारणों से शीत से, कीड़ों से पानी की कमी से, किसी भी कारण से फसल कम हुई हो या नष्ट हो गई हो तो मानवता के आधार पर वे काश्तकारों को छूट दे दें। उनके साथ ज्यादती न करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रश्न यह भी है कि आपके इन निर्देशों का पालन किसने कितना किया।

श्री खेतसिंह : फिर भी अगर पालन नहीं किया गया है और इस तरह के स्पेसिफिक इन्स्टान्स आप मुझे देंगे तो मैं अवश्य उस पर कार्यवाही करूंगा।

आगे लूणकरनसर से आने वालों ने कहा कि क्या बीकानेर में जिलाधीश ने खराब रिपोर्ट होने के बाद भी लेवी वसूली में छूट दी : ? अब मैं इण्डिविजुअल केस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता पर यह अर्ज जरूर करूंगा कि अच्छी तरह से यह सब बात जिलाधीश को मालूम थी। पोलिटिकल पार्टीज ने वहां तो ऐसा एटमॉस्फियर बना दिया था जिससे भी काफी रुकावट आई। वहां तो बाद में ही जाकर वसूली हो पाई। बाड़मेर में सबसे अच्छी वसूली हुई है। मुख्य मन्त्री जी ने भी अपने भाषण में यह बात कही है।

श्री गोपाल जोशी : मैंने तो यह पूछा था कि लेवी का जो भाव था और बाजार में जो भाव था उसका डिफरेन्स लेकर पटवारी ने लेवी की भरपाई करवाई है कई जगह ? क्या यह सही है।

श्री खेतसिंह : इस प्रकार की जानकारी विभाग में नहीं है। आप स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो जांच की जावेगी।

सरदार शहर टाइम्स को विज्ञापन

628. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरदारशहर टाइम्स, सरदारशहर को स्टेट लॉटरीज व अल्प बचत विभाग से फरवरी, 1972 से फरवरी, 1974 तक कितने रुपये का विज्ञापन स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अखबार को अन्य साप्ताहिक अखबारों के मुकाबले ज्यादा राशि का विज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) फरवरी, 1972 से फरवरी, 1974 तक कुल राशि 3,700) का भुगतान किया गया है।

(2) इस पत्र को कुछ से ज्यादा तो कुछ से कम भी विज्ञापन दिया गया है। चूंकि इस क्षेत्र में अल्प बचत में पूंजी नियोजन के प्रचार नहीं हो पाये थे इसलिये व्यापक प्रचार हेतु इस पत्र को तथा एक दूसरे पत्र को विज्ञापन दिये गये।

श्री भीमसेन : उस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हुई अल्प बचत में ?

श्री चन्दनमल बैद : निश्चित आंकड़े तो पता नहीं, पर वृद्धि जरूर हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने पत्रों से इसको अधिक दिया गया ? उनके नाम भी बतावें।

श्री चन्दनमल बैद : जी, नाम भी बताऊंगा। बदला हुआ जमाना, जयपुर 5700) शिकवा, जयपुर 6,000), सर्वेक्षण, जयपुर 4,500) और राष्ट्रदूत 3,500)। इसी तरह से कई साप्ताहिक व दैनिक भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चूरू जिले में इसी पत्र को सबसे अधिक दिया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब कि सरक्यूलर इसका अधिक नहीं, फिर इस चूरू जिले के पत्र पर ही विशेष कृपा आपकी क्यों हुई ? जबकि इस जिले में पचासों इससे अच्छे साप्ताहिक निकलते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पचास तो नहीं निकलते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरक्यूलर इसका कितना है ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे जानकारी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर इस पत्र पर ही आपकी विशेष अनुकम्पा का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : अनुकम्पा का कारण तो अनुकम्पा ही है। नेक्स्ट।

श्री चन्दनमल बैद : दो साल में कुल मिलाकर 3700) का विज्ञापन दिया गया है। इसको अगर अनुकम्पा मानते हैं तो मान लीजिये।

कोटपूतली तहसील में लीज पर दी गई खानें

629. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में किस-किस व्यक्ति को किस-किस चीज की खानें लीज पर दी हुई हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इन खानों में किसानों को पत्थर देने में कुछ रियायतें दे रखी हैं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या रियायतें हैं तथा क्या किसानों को ये रियायतें प्राप्त हो रही हैं ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) कोटपूतली क्षेत्र में दी गई खानों के पट्टाधारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1949 के नियम 4 के तहत कृषकों को कुछ रियायतें दी हुई हैं। रियायतों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। ये रियायतें कृषकों को न प्राप्त होने की कोई शिकायत नहीं आई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : किसी भी किसान को फ्री नहीं मिलता। रॉयल्टी वसूल की जाती है उनसे।

श्री झुझारसिंह : वर्किंग पिट जो लीजधारियों के हैं उनको छोड़कर अगर दूसरे पिटों से वे लेते हैं तो कोई रॉयल्टी नहीं ली जाती। लीजधारियों के वर्किंग पिटों से अगर लेंगे तब तो लीजधारी उससे लीज या रॉयल्टी लेगा ही। वह क्यों छोड़ेगा?

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : बाकी एरिया से भी लीजधारी लेने नहीं देते क्योंकि उनके एरिया प्रॉपरली डिमार्केट नहीं होते। आप जांच कर लीजिये। इस बारे में कभी आपने जानकारी की है?

श्री झुझारसिंह : हो सकता है लीज होल्डरों ने ऐसा किया हो। पर इसकी हमारे पास जब तक शिकायत न हो तब तक हम क्या कर सकते हैं। जो फ्री एरिया है उसके लिये यह रियायत है। अब फ्री एरिया को कोई लीज होल्डर अपनी करके बताता है तो यह तो विभाग में शिकायत की जानी चाहिये। नहीं तो यह तो डिस्क्रीशन करना मुश्किल है कि यह फ्री एरिया है या लीज्ड एरिया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मन्त्री महोदय खुद कहते हैं कि यह उनके लिए भी डिस्क्रीशन करना मुश्किल है। तो फिर किसान बेचारे को कैसे पता लगेगा कि यह फ्री एरिया है और यह इसका लीज्ड है। यह फरक मालूम करना किसान के लिये भी मुश्किल है।

श्री झुझारसिंह : वर्किंग एरिया तो हर कोई देख सकता है। हो रहा होगा काम वहां पर। अब फ्री एरिया में भी रोकता है कोई तो इसकी विभाग में शिकायत की जानी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन सुनता है इन गरीब किसानों की इस विभाग में?

प्रश्न संख्या 630

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल!

अनुपस्थित

(कृपया आगे देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री!

बाड़मेर जिले में बसायें गये शरणार्थी

631. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में बसाये गये पाक शरणार्थियों ने सन् 1973-74 में इसी जिले की सरकारी भूमि पर काश्त की थी जिसके कारण उनकी फसल को कुर्क किया गया और उन पर जुर्माना किया गया? यदि हां, तो किन-किन शरणार्थियों ने किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि पर काश्त की थी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किस-किस शरणार्थी की कितनी-कितनी फसल कुर्क की गई और उन पर कितना जुर्माना लगाया गया और कितना-कितना लगान वसूल किया गया। तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कुर्की आदि की उपयुक्त कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा किस-किस तारीख को किस कानून के अन्तर्गत की गई?

पुनर्वास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां। सूची प्रस्तुत है।

(2) सूची प्रस्तुत है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(3) कुर्की आदि की कार्यवाही निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा माह अक्टूबर, 73 के द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह में धारा 91 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत की गई।

(1) श्री नरपतसिंह, तहसीलदार, शिव।

(2) श्री महाराज कृष्ण, तहसीलदार, पुनर्वास।

(3) श्री कानसिंह, तहसीलदार, पुनर्वास।

(4) श्री नरपतसिंह, नायब तहसीलदार, बाड़मेर

उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त परगना अधिकारी, बाड़मेर, तहसीलदार, चौहटन तथा नायब तहसीलदार, चौहटन द्वारा भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह किस तारीख को की गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको बताया दूसरे और तीसरे सप्ताह में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कौनसा महीना और कौनसी तारीख को ?

श्री परसराम मदेरणा : जवाब के खण्ड तीन में बताया दूसरे और तीसरे सप्ताह अक्टूबर में दी गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या राजस्व मंत्री ने इस प्रकार के कोई आदेश दिये थे कि इसकी फसल कुर्क नहीं की जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार के आदेश इस राजस्व मंत्री की जानकारी में नहीं हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री बदल जाय लेकिन एक राजस्व मन्त्री ने आदेश दिये थे तो क्या आदेश भी बदल जाते हैं ? उन्होंने यह आदेश दिया था जिला परिषद अधिकारियों को यह फसल कुर्क नहीं की जाय और सितम्बर, 21 तारीख को की गई है बावजूद इस आदेश के जिला परिषद अधिकारियों ने जिन शरणार्थियों ने काश्त की थी उनकी फसल को कुर्क कर दिया और जुर्माना वसूल कर लिया। क्या इस प्रकार करना उचित था ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह तो मैं नहीं जानना चाहता हूं और एक प्रकार की चर्चा खड़ी हो जायगी। कानून के अनुसार कार्यवाही है। जिसको सक्षम बनाया गया है कानून के अन्तर्गत वह कार्यवाही कर सकता है। तत्कालीन राजस्व मन्त्री ने जो आदेश दिये थे आप मुझे बता दीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आदेश ये थे, मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"The crops should not be attached. Penalty may be imposed as per rules.

Sd./Ram Chandra Choudhry"

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कइयों की क्रॉप भी कुर्क की गई है और कइयों के जुर्माना भी किया गया है........

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें तो दोनों है.......

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी सुन लीजिये। कइयों में दोनों चीजें भी की गई हैं। प्रसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर यह मामला निर्भर करता है। 91 रेवेन्यू बोर्ड में एक नहीं अनेक फैसले इस प्रकार के हो चुके हैं। उसमें किसी प्रसाईडिंग ऑफिसर को डॉइरेक्शन नहीं दे सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह नहीं हो सकता है जिसकी जमीन को कुर्क कर रहे हैं और उस पर पैनेल्टी भी इम्पोज कर रहे हैं और जिसके पास खाने पीने का जरिया नहीं है उस पर पैनेल्टी इम्पोज करते हैं, आप पैनेल्टी इम्पोज कर दीजिये फसल बेच कर आपको पैसा दे देगा। फसल भी कुर्क कर लिया और पैनेल्टी भी कर रहे हैं तो वह बेचारा पैसा देगा कहां से ?

श्री परसराम मदेरणा : फसल तो इस लिये कुर्क की गई कि उसने नाजायज काश्त की और जुर्माना इसलिये किया गया है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, महत्त्वपूर्ण है। एक तो पाकिस्तान से शरणार्थी आये और आकर यहां काश्त करना चाहते हैं। जमीन उन्होंने ले ली और खेती कर ली तो आप कम से कम आप लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार पैनेल्टी कर फसल तो उनको दे दें। एक तरफ तो आप कहना चाहते हैं कि हम उनको बसाना चाहते हैं और इधर राजस्व मन्त्री जी के आदेश थे। जिला परिषद् अधिकारियों ने अपमानजनक शब्दों में कहा कि ऐसे राजस्व मन्त्री के आदेशों को ज़ेबों में रख दीजिये। क्या वे शरणार्थी वापिस पाकिस्तान जायें और अगर वहां जायें तो मौत और यहां रहें तो भूख। तो मेरा निवेदन है उन भूमिहीनों को कोई न कोई काम धन्धा लगाने का प्रयास करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इनके रीहेबिलिटेशन का मामला भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में है, अभी तक बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर में इनको बसाने की कोई योजना है। ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, किसी पाकिस्तानी को तो क्या इण्डियन नेशनल को भी यह अधिकार नहीं है और किसी राजस्थान के डोमीसाइल को भी यह अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार के किसी सिवाय चक भूमि पर कब्जा करे। जहां तक ह्यूमिनिटि का ग्राउन्ड है भारत सरकार ने राज्य सरकार के मारफत फ्री राशन दिया जाता है। इसमें दो करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उनके बच्चों तक को खाना मिलता है और दूसरी ओर सरकार की सिवाय चक जमीन पर जो यहां का नागरिक भी नहीं है, इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिये।

प्रश्न संख्या 632

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !
श्री रामचन्द्र पटेल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

गान्धी नगर के क्वार्टरों के निर्माण के लिये आवास भूमि

633. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने सन् 51 में अपने आदेश एफ. 5 (288) रेवेन्यू II-5, दिनांक 19-11-51 के अन्तर्गत गान्धी नगर के क्वार्टर बनाने हेतु तत्कालीन जागीरदार मोजपुरा अथवा अन्य जागीरदार की भूमि अवाप्त करके उसका मुआवजा रुपये अस्सी हजार श्रीमती पद्मावती देवी को दिये और साथ ही 15 बीघा जमीन भी दी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की अवाप्ति में राज्य सरकार की आज्ञा नहीं ली गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस समय भूमि अवाप्त की गई उस समय जयपुर स्टेट भूमि अवाप्ति कानून प्रचलित था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को अवाप्त करने से पूर्व न तो गजट में तत्सम्बन्धी नोटिस निकाला गया और न जिलाधीश, जयपुर एवं चीफ इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही कोई राय ली गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) आदेश दिनांक 19-11-51 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अवाप्ति की कार्यवाही लैण्ड अक्वीजिशन ऑफिसर, जयपुर द्वारा की जाना पाया जाता है।

(3) जी हां।

(4) पुराना रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : क्या आप पद्मादेवी के स्वसुर स्व. मधुसूदन ओझा सेटिलमेंट रेकार्ड सन् 87 के अनुसार 35 बीघा 18 बिस्वा जमीन थी।

श्री परसराम मदेरणा : ओल्ड सेटिलमेंट रेकार्ड में कितनी भूमि थी, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला दिया है। यह माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि उनके पास कितनी भूमि थी और कितनी भूमि नहीं थी और वे मालिक थे या नहीं। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद जो जमीन धर्मपत्नी के नाम पर उनको बेदखल करने के आदेश रेवेन्यू बोर्ड ने कर दिये थे लेकिन उस फैसले के विरुद्ध पार्टी हाई कोर्ट में गई। कोई कार्यवाही अभी नहीं हुई है इसलिये मामला सब-जूडिस है।

श्री रामकिशन : मामला सब-जूडिस है, कार्यवाही नहीं करेंगे लेकिन जो जमीन एक्वायर की गई है तो क्या वही की गई है जो इनके खाते में दर्ज थी।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि 1951 में पद्मावती को अलग से जमीन देने की बात थी और बाकी बची जमीन को एक्वायर किया गया है। अब नकशे में कौनसी जमीन है, यह जानकारी अभी इस समय नहीं है।

श्री रामकिशन : जानकारी कर लें, इसीलिये प्रश्न किया था.......

श्री परसराम मदेरणा : जमीन मिली या नहीं मिली, कौनसी जमीन एक्वायर की गई। रेवेन्यु बोर्ड ने फैसला कर दिया है और हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

भू-तल जल हेतु सर्वे

634. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाइड्रोजियालोजिकल रिकनेसेन्स योजना के अन्तर्गत किन किन जिलों में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वेक्षण हुआ ? उन जिलों की सर्वेक्षण की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील के अलावा अभी तक उक्त योजना के अन्तर्गत विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ। यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक करा दिया जावेगा।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चंदनमल बैद): (1) हाइड्रोजीयोलाजिकल रिकनेसेन्स योजना के अन्तर्गत 15 पंचायत समितियों का प्राथमिक भू-जल सर्वेक्षण एवं 32 पंचायत समितियों का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया गया है। यह 47 पंचायत समितियां निम्नलिखित 20 जिलों में स्थित हैं (1) टोंक, (2) कोटा, (3) अजमेर, (4) भीलवाड़ा, (5) पाली, (6) चूरू, (7) झुन्झुनूं, (8) जोधपुर, (9) बीकानेर, (10) जालोर, (11) जयपुर, (12) सवाई माधोपुर, (13) नागौर, (14) उदयपुर, (15) अलवर, (16) सिरोही, (17) झालावाड़, (18) भरतपुर, (19) डूंगरपुर, (20) सीकर।

सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या काफी बड़ी है और इनकी प्रतिलिपियां करवाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। सिवाना पंचायत समिति के अतिरिक्त जिले की धोरीमान पंचायत समिति का भी अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है वर्तमान वर्ष 1973-74 में शिव पंचायत समिति का अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। आगामी वर्ष 1974-75 के अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण का कार्यक्रम पचपदरा, बायतू, सिन्दरी व बाड़मेर पंचायत समिति में लिया जा रहा है।

श्री वृद्धिचंद्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 74-75 के सर्वे के बारे में मैं राज्य सरकार को इसके बारे में धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं यही चाहता हूं कि यह कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय।

श्री चंदनमल बैद : अभी कल तो साल शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री श्रीराम गोटेवाला !

नगरपरिषद् जयपुर के कर्मचारियों की रिवाइज की गई ग्रेड्स

635. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एक जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक जयपुर नगर परिषद् के कितने

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कर्मचारियों की ग्रेड्स (वेतन श्रृंखलाएं) विशेष रूप से रिवाईज हुई तथा पूर्वकाधिक पदोन्नतियां हुई ?

(2) क्या उक्त श्रृंखलाओं में से कुछ कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं को 11 वर्ष से पूर्व रिवाइज किया गया था ? यदि हां, तो परिषद् के प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त कर्मचारियों को एरियर की कितनी राशि का भुगतान किया गया और किस हद तक यह भुगतान कानूनों व नियमानुकूल था ?

(4) क्या परिषद् ने उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त और किसी पद की वेतन श्रृंखला में रिवाईज करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था ? यदि हां, तो उनका क्या हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) चार खाद्य निरीक्षकों की ग्रेड्स रिवाईज की गई है। पूर्वकाधिक पदोन्नतियां नहीं की गई हैं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में बतलाये हुये 4 कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलायें दिनांक 8-10-60 से रिवाईज की गई हैं।

परिषद् के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये थे, इसलिये प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) एरियर के रूप में 41,277-59 पैसे की राशि का भुगतान किया गया है। भुगतान नियमानुसार है।

(4) जी हां।

कुछ मामलों में निर्णय लिये जाने विचाराधीन हैं व कुछ मामलों में निर्णय लिये जा चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता हूं इन चार खाद्य निरीक्षकों के अलावा औरों की भी ग्रेड रिवाईज हुई थी क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये जो चार खाद्य निरीक्षकों का बताया इनके अलावा औरों की ग्रेड्स रिवाईज हुई थी ?

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ की हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह कौन है, आपने चार बताये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : 4 खाद्य निरीक्षकों की ग्रेड रिवाईज हुई हैं औरों के मामले विचाराधीन हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जो ग्रेड रिवाईज हुई वह जो इलेक्टेड कौंसिल थी उसके रेज्योल्यूशन से होनी चाहिये थी। तो मैं यह जानना चाहता था कि वह रेज्योल्यूशन हुआ क्या ? अगर हुआ तो कौनसी तारीख को ?

श्री रामनारायण चौधरी : कौंसिल का कोई रेज्योल्यूशन नहीं हुआ। सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर ने इनके केस को रिकमण्ड किया था।

Page No.13

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या कमिश्नर को अधिकार है उनकी ग्रेड को रिवाईज करवाने के लिए ? मंत्री महोदय जो आपने 41 हजार का बताया यह 41 हजार ही नहीं है । कई अधिकारियों के नाम भी नहीं दिये हैं और राज्य के कोष को, म्युनिसिपल कमेटी के कोष को 1½ लाख रुपये की हानि हुई है और कई लोगों की तो आज तक सेंक्शन नहीं और कुछ में जो इन्टरेस्टेड लोग थे उनकी सेंक्शन दे दी गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मैंने सारे फेक्ट्स दिये हैं और बिना कौंसिल के रेज्योल्यूशन के ग्रेड रिवाइज कर दी गयी और 4 खाद्य निरीक्षकों की ही की गयी और उसके अलावा अधिकारी और हैं जिनके नाम भी नहीं दिये हैं तो क्या आप उसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : श्री के. पी. गोयल, खाद्य निरीक्षक का ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : 4 की तो मान लिया मैंने और मेरा दूसरा क्लियर क्वेश्चन है कि जो अनियमितता हुई और कौंसिल के रेज्योल्यूशन के द्वारा ही सारी चीज हो सकती थी और ग्रेड रिवाइज करके चार निरीक्षकों की भेज दी और उनको 41,000 रुपये दिए गए उसका क्या हुआ ? उसकी भी आप चाहेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा । उसके अलावा भी और अधिकारियों की ग्रेड रिवाईज हुई और सन् 60 से रिवाइज करके पैसा दिया गया क्या आप उनकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रश्न सप्लीमेंटरी साफ नहीं हुआ ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अनियमितता हुई या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या जानना चाहते हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अनियमितता जो हुई है और उसकी वजह से जो कोष को हानि हुई है और कुछ लोगों ने मेनुपुलेट करके गड़बड़ियां की हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बारे में राज्य सरकार जांच करवाने के लिए तैयार है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने चाहा है कि चार खाद्य निरीक्षकों की ग्रेड रिवाइज करवाने में कोई अनियमितता हुई है इसकी जांच कराने का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है । नगर परिषद् ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था । म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रस्ताव भेजा.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : रूल्स के अनुसार जरूर था लेकिन चिट्ठी भेजी है रेज्योल्यूशन नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार ने फिर स्वीकृति दी है । अब माननीय सदस्य किस बात के लिए जांच करवाना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आई । राज्य सरकार की स्वीकृति से इनकी ग्रेड को रिवाइज किया है अब इसकी जांच कहां होगी कौन करेगा और क्या स्थिति होगी—मुझे पता नहीं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कृपा करके चार के नाम बता दें । सूची आपने नहीं दी किन-किन की ग्रेड रिवाईज की ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नाम नहीं हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नाम तो देने चाहिए थे भगवन । मेरा प्रश्न सारा ही यों रह गया ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री रामनारायण चौधरी : नाम दे दूंगा मैं आपको ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी!

बजरी मिट्टी के लिए लीज पर दी गई भूमि

636. श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी (बयाना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को सन् 1971-72, 72-73,73-74 में बन्ध बारेठा, बांसी पहाड़पुर, रूपबास एवं बयाना जिला भरतपुर की सैण्डस्टोन, खण्डा, बजरी, मिट्टी से कितनी-कितनी आय हुई ?

(2) उक्त वर्षों में किस-किस काम का कितना क्षेत्र बिना लीज पर उठाये रह गया और उससे अनुमानित कितनी-कितनी आमदनी हो सकती थी ?

(3) उक्त वर्षों में राज्य सरकार ने उक्त खानों की उन्नति के लिए क्या-क्या कार्य किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उक्त खनिज की उन्नति के लिए कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है सारे क्षेत्र का सर्वे होने पर ही निश्चित कहा जा सकता है ।

(3) विभाग द्वारा खान सुधार योजना के अन्तर्गत ऋण व मशीनरी उपकरण देने की योजनायें चालू रही हैं जो इनका उपयोग चाहे कर सकता है ।

(4) यह बिल्डिंग स्टोन है इसकी उन्नति के लिए कोई आवागमन मात्र बनाने / सुधारने की विभाग की योजना है जो वित्तीय साधनों पर निर्भर है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : मैं निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लेबर हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए कोई हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी आदि के कार्य की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं या रॉयल्टी वसूल करना ही जिम्मेदारी है या लेबर के वैलफेयर का भी काम है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लीज होल्डर्स हैं उनका काम है कि जहां ज्यादा मजदूर काम करते हैं उनकी सुविधा का प्रबन्ध करें और लेबर डिपार्टमेंट उस को देखता है। इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो उसका भी फैसला करते हैं । लीज देने का ही काम नहीं बल्कि लेबर के बारे में भी है। कहीं कोई शिकायत होती है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : जो खनिज क्षेत्र हैं वहां आवागमन के लिए छोटी छोटी

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी)
रोड्स हैं उनके लिए खनिज विभाग कुछ पैसा देता है या नहीं, उनके डवलपमेंट के लिये ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में खनिज विभाग महसूस करता है कि जितनी रोड्स की जरूरत है उसके माफिक पैसा नहीं दे पा रहे हैं और यह सही है कि उन रोड्स का समुचित विकास किया जाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेन्ट से इस बात के लिए कई बार निवेदन किया और जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी हम चाहेंगे कि इस तरह की सड़कों का विकास हो जिससे कि माल ज्यादा प्रॉड्यूस हो सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट—श्री रघुनाथ विश्नोई !

ग्राम पंचायत सांचोर को नगर पालिका घोषित करने का प्रस्ताव

637: श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत, सांचोर क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ? अगर हां, तो कब ? तथा इसे नगरपालिका क्षेत्र कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्लेक्टर महोदय काफी अर्से पहले प्रस्ताव भेज चुके हैं आप इसकी जांच कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव है तो मैं जिलाधीश, जालोर से मंगवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 638

श्री निरंजनाथ आचार्य !

अनुपस्थित।

(कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह !

खाद्यान्न सम्बन्धी आदेश

639. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1972-73 और 1973-74 में खाद्यान्न सम्बन्धी कितने कानून, नियम, उपनियम, आदेश और विज्ञप्तियां जारी की गईं ?

(2) इतने अधिक कानून बनाने के क्या कारण हैं ? क्या इतने अधिक कानूनों का पालन होना सरकार सम्भव समझती है ? यदि नहीं, तो इतने अधिक कानून क्यों बनाये गये ?

(3) क्या भविष्य में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि खाद्यान्न विधेयक कानून में जो भी फेरबदल अथवा संशोधन हों उसमें रोजाना संशोधन अथवा परिवर्तन न हो ?

(4) क्या यह सही है कि खाद्यान्न कानूनों में जो परिवर्तन हुए उनकी घोषणा तो कर दी गई परन्तु राज-पत्र में देरी से छपे

(श्री मोहरसिंह)
जिसके कारण सम्बंधित व्यापारियों को उस कानून से बचने के लिए काफी समय मिल गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) वर्ष 1972-73 में 31 एवं 1973-74 में 42 खाद्यान्न सम्बन्धी कानून, नियम, उप-नियम, आदेश और विज्ञप्ति जारी की गई हैं।

(2) राज्य में खाद्य स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है तथा राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों में जनता को आवश्यतानुसार एवं उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये इसलिए बाढ़, सूखा आदि विपत्तियों के कारण एवं केन्द्रीय सरकार के निर्देशों की पालना में समय-समय पर कानून बनाये गये हैं एवं उनमें संशोधन किये जाते रहे हैं। सरकार जो भी कानून या आदेश जारी करती है उसकी पालना करने के लिए भी वह प्रयत्नशील है।

(3) राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है वह अपने आप में पूर्ण ही होते हैं परन्तु बदलती हुई स्थिति में सरकार को कभी-कभी कानूनों में संशोधन भी करना आवश्यक हो जाता है।

(4) जी नहीं, जो भी नियम अधि-नियम राज्य सरकार (खाद्य विभाग) द्वारा जारी किये गए हैं उनके राज-पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् ही रेडियो एवं समाचार पत्रों के द्वारा उनकी घोषणा की गई हैं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या रेडियो और समाचार-पत्र में घोषणा होने के बाद से कानून हो जाता है। यह मिसलीडिंग है और सरकार एक ही कानून को एक साल में 43 बार संशोधन करे और यह जो उत्तर दिया गया है बिलकुल गलत है। एक-एक कानून का सौ-सौ बार संशोधन किया गया है और कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं है जो बता सके कि सही कानून क्या है और कौन से कानून का कितना हिस्सा संशोधन किया गया और कितना रद्द किया गया। क्या इतने अधिक कानून बनाकर कानून के प्रति अवज्ञा नहीं पैदा की गई है ? इतने कानूनों का पालन कैसे हो सकता है ? क्या रोज परिवर्तन करके सरकार अपना सैल्फ-इम्पीचमैंट नहीं करती है ? आप सोच समझकर गम्भीर विचार करके कैबिनेट में निर्णय करते हैं और उसको दूसरे या तीसरे दिन बदल देते हैं तो जनता क्या नतीजा निकालेगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री मण्डल के माननीय सदस्य योग्य सदस्य हैं और जो भी कानून के अन्दर तरमीम लाते हैं समय के अनुसार उनको लानी पड़ती है और लानी चाहिये। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि वैज्ञानिक युग के अन्दर समय बड़ा तेजी से बदलता है और बदलती हुई परिस्थितियों में जब कि अतिवृष्टि सूखा, तस्करी, खाद्य सामग्री की कमी, बढ़ते हुए भावों पर नियंत्रण करना, वितरण व्यवस्था में सुधार आदि कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अन्दर राज्य सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं और जितने कानून सरकार ने निकाले हैं वह हमेशा सतर्कता को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किये गए हैं और उनकी पालना जहां तक सम्भव होती है सरकार करती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता की सुविधा में तो मावे पर पाबन्दी भी थी लेकिन उसको क्यों रद्द कर दिया ?

श्री मोहर्रासह : जीवनोपयोगी पदार्थों के बारे में जितने कानून बनाए जाते हैं और उनमें रोजाना सरकार जो संशोधन करती है........

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरीफिकेशन कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का तो ध्यान रखिए, वे बोल रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय मंत्री महोदय ने जो योग्य सदस्य कहा है तो योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं, तो योग्यता का सर्टीफिकेट किसने दिया है ?

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल :—इस सप्लीमेन्ट्री का उत्तर आना चाहिए।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने परिस्थितियों के अनुसार कानून बदलने की बात कही है लेकिन ऐसे कानूनों में अमेंडमेंट इतनी बार इसलिए करने पड़े कि पहले वाले कानून गलत निकल गए और कितनी बार गलत कानूनों को सुधारने के लिए अमेंडमेंट निकाले। अभी एक डेढ़ महीने पहले आपने पांच सौ क्विन्टल की सीमा का आदेश निकाला डेढ़ सौ क्विन्टल की जगह का जिसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था, आदेश तो निकल गया लेकिन रेडियो और अखबारों में नहीं निकला। यह जो पांच सौ क्विन्टल की सीमा वाला अमेंडमेंट था वह गजट में तो 15 दिन बाद निकला जबकि अखबारों में और रेडियो में 15-20 दिन पहले ही निकाल दिया था, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य बहुत योग्य और माननीय हैं। जनता ने उनको चुन कर भेजा है तो उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही चुना होगा और उन्हीं सदस्यों में से मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं तो वे भी योग्य ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय तो प्रत्येक सदस्य हैं परन्तु वे योग्य ही हों यह दूसरी बात है।

प्रश्न संख्या 640

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री लूणाराम।

रोही सांतलेरा में दांदड़ा पत्थर की खान

641. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष आप व आपके विभाग को ग्राम विग्गा व सांतलेरा के ग्रामीणों का प्रार्थना-पत्र मय पंचायत विग्गा जिला चूरू के प्रस्ताव सहित रोही सांतलेरा में दांदड़ा पत्थर की खान को

(श्री लूंणाराम)

खान घोषित करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर का कितने बीघों के लिए व किस तारीख को प्राप्त हुआ ? और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त प्रार्थनापत्र पर यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कृपया स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 642

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मीठालाल !

डीजल व क्रूड आयल की तस्करी आदि के मामले

643. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में डीजल व क्रूड आयल की तस्करी, जमाखोरी, काला बाजारी आदि के कितने मामले सरकार की पकड़ में आये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) आज तक कितने मामलों में सरकार ने निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में जनता ने कई बार ब्लेक में डीजल क्रूड आयल बेचने तथा नाजायज स्टाक रखने के मामले उच्च अधिकारियों द्वारा रंगे हाथ पकड़वा दिये इसके उपरान्त भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 32 मामलों में से 4 मामलों में निर्णय ले लिया है तथा 28 मामलों में कार्यवाही चल रही है जिनमें निर्णय होने पर यथानुसार दण्ड दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। दो मामले लालसोट तहसील में पकड़े गये थे। एक में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई व दूसरे का क्रूड आईल जब्त कर पुलिस द्वारा 550 सी. आर. पी. सी. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या पुलिस जो लालसोट में केस बनाये गये हैं, उनमें आपके विभाग में पुलिस हस्तक्षेप आपके सहयोग के लिए अच्छा रहा है या खिलाफ पड़ रहा है।

श्री खेतसिंह : पुलिस का सहयोग अच्छा है या खिलाफ है, यों ?

श्री मीठालाल : आपके विभाग की तरफ से जो तहसीलदार कार्यवाही करता है अथवा नाजिम परगना कार्यवाही करता

(श्री मीठालाल)
है उसके बारे में गांव में यह चर्चा है कि पुलिस वाले जानबूझ कर मुलजिमान को बचा रहे हैं। आप कहते हैं कि पुलिस सहयोग करती है लेकिन आपके कर्मचारियों की यह रिपोर्ट है कि पुलिस अडंगा बना रही है।

श्री खेतसिंह : जी हां, आपका जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार पुलिस उनको सहयोग कर रही है और कोई गड़बड़ नहीं है।

श्री मीठालाल : मैंने आरोप लगाया है और आपने जी हां, बोल दिया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री शंकरलाल।

श्री मनोहर कोठारी : एक प्रश्न एकलिंगजी सम्बन्धी बड़ा ही महत्वपूर्ण, सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : समय मिल जाएगा तो ले लेंगे।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

पाली जिले में खाद की मांग

358. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अधिक वर्षा के फलस्वरूप पाली में जिले रबी फसल हेतु खाद की काफी मांग रही जिसकी पूर्ति कृषि विभाग द्वारा समय पर नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

(2) पाली जिले के कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद की पंचायत समिति वार कितनी कितनी मांग कब कब की गई थी और उसकी तुलना में कितना कितना खाद कृषि विभाग द्वारा कब कब दिया जा सका ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खाद के वितरण की क्या प्रणाली अपनाई गई थी ? उसमें कब कब क्या क्या संशोधन किन कारणों से किये गये और उसका क्या नतीजा रहा ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। अधिक वर्षा के फलस्वरूप पाली जिले में रबी के निम्नलिखित लक्ष्य आवश्यकता एवं उपलब्धि के आधार पर निर्धारित किए गए थे तथा उनके सामने अंकित मात्रा वितरित करा दी गई थी।

	लक्ष्य	मात्रा उपलब्ध करायी गयी
नत्रजन	1883 मै. टन	1875 मै. टन
फासफोरस	370 ,,	318 ,,
पोटाश	100 ,,	46.4 ,,

(2) पाली जिले में पंचायत समिति वार खाद की मांग प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु सहकारी समितियां, एग्रो सैंटरों से जो मांग प्राप्त हुई उसकी पूर्ति पूल के खाद में से यथा संभव खाद की उपलब्धि के अनुसार कर दी गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) दिनांक 27-12-73 तक सहकारी समितियों द्वारा खाद बिना परमिट

(शिक्षा मन्त्री)
के बाँटा जाता था तत्पश्चात परमिट प्रणाली द्वारा बाँटा गया। प्राइवेट एजेन्सी एवं एग्रो सेन्टरों का सम्पूर्ण खाद भी उक्त दिनाँक से परमिट द्वारा बाँटा गया। जिससे अधिक संख्या में कृषकों को खाद उपलब्ध हुआ।

(सूची सरकार से प्राप्त नहीं हुई)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जितने खाद की माँग थी उतना खाद नहीं दिया जा सका। दूसरा आपने कहा कि माँग के बारे में सूची दे दी गई है लेकिन मुझे सूची नहीं मिली है। तीसरी बात जो अपनी प्रणाली है परमिट प्रणाली उसका क्या रिजल्ट आया यह नहीं बताया है। दूसरा यह कि जो व्यक्तिगत वितरण प्रणाली है प्राईवेट एजेन्सीज की क्या सरकार उसको खत्म करने का विचार रखती है, क्योंकि इससे ब्लेक होता है और लोगों को खाद मिलता नहीं है।

खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची प्राप्त नहीं हुई माननीय सदस्य को उसके लिए मुझे खेद है। मैं माननीय सदस्य को सूची अभी दे सकता हूं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य अभी पधारे हैं इसलिए सूची नहीं मिल सकी होगी....

श्री शंकरलाल (पाली) : मुझे आए हुए तो काफी समय हो गया।

श्री खेतसिंह : आपको सदन में आए हुए तो काफी वक्त हो गया होगा लेकिन इस प्रश्न के वक्त में अभी पधारे हैं।

यह बात सही है कि पूल से जितना खाद मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। कारण कि पूल का खाद इम्पोरटेड खाद हुआ करता है और इस साल इम्पोर्ट कम हुआ और भारत सरकार से खाद का वितरण कम हुआ और इसके कारण यहाँ पर भी खाद कम वितरण हुआ, यह बात सही है।

दूसरा यह नॉन पूल का खाद है उसकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है और इस बात की शिकायतें समय समय पर आई हैं। यहाँ पर जब खाद पर डिबेट हुई उसमें माननीय सदस्य भीनमाल से आने वाले और साँचौर से आने वाले माननीय सदस्य और आपने सभी ने इस बात को कहा था कि खाद की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि नॉन-पूल खाद के लिए भी वितरण का आदेश भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा होता है और इसलिए हमारे यहाँ के कृषि मंत्री महोदय ने भारत सरकार को लिखा है कि नॉन-पूल का जितना भी खाद है, जैसे श्रीराम फर्टीलाइजर्स और दूसरे इनके बारे में लिखा है कि कम से कम इनकी वितरण व्यवस्था ऐसी हो कि सही मायने में खाद लोगों को उपलब्ध हो सके।

स्थगित प्रश्न सं. 119

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सज्जनसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

गांव दुजाणा की भूमि

396. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव दुजाणा चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में सांडेराव के भूतपूर्व जागीरदार के नाम अथवा कब्जे में खसरा नं. 1,3,5,26,226 व 227 कुल रकबा 4,033½ बीघा भूमि थी ? इस भूमि की किस्म नहरी है और जवाई नहर द्वारा सिंचित होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब सांडेराव के भूतपूर्व जागीरदार श्री भीमसिंह की विधवा श्रीमती नारायण कँवर का कब्जा मान कर सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा यह भूमि एस. डी. ओ., बाली के फैसले के अनुसार ले ली गई है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल, आर. ए. एस. ने अपने कुछ मित्रों, सहयोगियों एवं रिश्तेदारों के नाम से श्रीमती नारायण कंवर से करीब 1700 बीघा भूमि हस्तानान्तरण करवा ली है ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि किस किस के नाम से ली है ?

(4) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. बाली के निर्णय से सीलिंग केस 70-711/1970, दिनांक 14-12-70 के तहत खसरा नम्बर 27 रकबा 1,300 बीघा व खसरा नम्बर 227 में रकबा 1,600 बीघा भूमि रिज्यूम किया जाने का आदेश दिया ?

(5) क्या यह सही है कि श्री रंगरूप मल कोठारी आर. ए. एस., एस. डी. ओ., बाली ने अपने आदेश दिनांक 8-11-71 को यह भूमि सीलिंग से मुक्त करने का फैसला भी दिया ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल, आर. ए. एस. ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके रेवेन्यू सेक्रेटरी के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 2071 (पी ए) एल. आर. सी. 72, दिनांक 1-5-72 के द्वारा तहसीलदार, बाली को बाध्य किया कि उसके सहयोगियों के नाम नामान्तर करण कर दिये जावें और फलस्वरूप नामान्तर करण कर दिये गये ? यदि हां, तो किन किन के नाम कितनी कितनी भूमि की गई ?

(7) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल आर. ए. एस. ने अब उक्त भूमि को बेचना शुरू कर दिया है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। उप खण्ड अधिकारी बाली ने अपने निर्णय दिनांक 14-12-70 के द्वारा श्रीमती नारायणकुंवर के पक्ष में 115 बीघा भूमि छोड़ कर शेष भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के आदेश दिये थे। परन्तु उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध श्री हजारी, श्री अम्बादान एवं 13 अन्य व्यक्तियों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील की जिस पर अपील न्यायालय ने श्री हजारी के पक्ष में 90 बीघा एवं श्री अम्बादान एवं 13 अन्य व्यक्तियों के पक्ष में 115 बीघा भूमि प्रति व्यक्ति रखे जाने का निर्णय दिया है।

(3) श्रीमती नारायण कुंवर ने 1700 बीघा भूमि जिन व्यक्तियों को हस्तान्तरित

(राज्य मन्त्री राजस्व)
की है की सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है। राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं है कि क्या ये व्यक्ति श्री सी. डी. देवल के मित्र सहयोगी या रिश्तेदार हैं या नहीं।

(4) जी हां। उप खण्ड अधिकारी, बाली ने अपने निर्णय में सिलिंग केस नं. 70-71/1970, दिनांक 14-12-70 के तहत खसरा नं. 27 एवं 227 की सम्पूर्ण भूमि में 115 बीघा भूमि छोड़ कर बाकी भूमि रिज्यूम करने के आदेश दिये थे। इसके पश्चात अपीलेट न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय बाबत विवरण पैरा सं. 2 में वर्णित है।

(5) दिनांक 8-11-71 को तत्कालीन उप-खण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को एक नक्शा भेज कर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी को दिनांक 27-4-71 के आदेश की पालना करने का निर्देश दिया।

(6) रेवेन्यू सैक्रेट्री ने अपने अ. शा. पत्र के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने का आदेश दिया था। अतः 15 व्यक्ति जिनके नाम संलग्न परिशिष्ट (ख) में अंकित है के पक्ष में नामान्तरकरण किये गये हैं।

(7) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या श्रीमती नारायण कुंवर ने यह भूमि अपना खातेदारी का लगान वसूल नहीं होने के कारण राज्य सरकार को सुपुर्द की थी। यदि हां, तो कब और कितने अर्से तक तहसीलदार बाली के कब्जे में रही ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अलग से प्रश्न है।

श्री सज्जनसिंह : इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछ लेता हूं साहब। क्या राज्य सरकार ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के फैसले की अपील राजस्व मण्डल में की है ?

श्री परसराम मदेरणा : अपील नहीं रिवीजन किया है।

श्री सज्जनसिंह : क्या इस पर स्टे आर्डर प्राप्त किया गया है क्योंकि एस.डी.ओ. कोर्ट के जजमेन्ट का आखरी कागज उपलब्ध नहीं हो सका।

श्री परसराम मदेरणा : रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी को दो रिवीजन राज्य सरकार द्वारा किये गये थे। एक तो हरजी के खिलाफ और दूसरा और आदमियों के खिलाफ हरजी के खिलाफ जो आधार था, रेवेन्यू बोर्ड ने उसे इस टैक्नीकल ग्राउन्ड पर खारिज किया है कि एस. डी. ओ. कोर्ट के जजमेन्ट का आखरी पेज नहीं था।

श्री सज्जनसिंह : क्या सरकार ने इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सज्जनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नारायण कंवर ने भूमि का विक्रय किया है या कोई कान्ट्रेक्ट किया है। क्या गवर्नमेन्ट के नॉलेज में यह बात है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : गवर्नमेन्ट के नॉलेज में यह नहीं है। एग्रीमेन्ट का एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेन्ट जरूर पेश कि । है।

श्री **सज्जनसिंह** : उसके आधार पर क्या यह मालूम होता है कि भूमि का विक्रय हो चुका है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यह मामला रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन में है.......

श्री **दिनेश डांगी** : अध्यक्ष महोदय, 27-4-63 को हाईकोर्ट ने स्टेट्स क्यों जारी किया है इसलिए यह मामला सब-जुडिस है।

प्रश्न संख्या 644

श्री **अध्यक्ष** : श्री हनुमान सहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 645

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दीपंकर !

सहायक एग्रोनोमिस्ट श्री गंगानगर द्वारा उठाया गया वेतन

646. श्री दीपंकर (लाड़नूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री विक्रमसिंह चौधरी सहायक एग्रोनोमिस्ट, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन श्री गंगानगर में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां तो कब से ? तथा पहले ये कहां कहां कार्य कर चुके हैं ? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसंधान स्टेशन से बाहर होने के बावजूद उक्त सहायक एग्रोनोमिस्ट कई दिनों के हस्ताक्षर एक साथ कर पूरी तनख्वाह उठाने में सफल रहा तथा दूसरों के द्वारा जांच करवाने का कहने पर धमकी देकर उन्हें डरा दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक एग्रोनोमिस्ट के उपस्थिति हस्ताक्षर उपस्थिति पंजिका में संदिग्धावस्था में है ? यदि हां तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखाती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां दिनांक 12-5-69 से क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्री गंगानगर में सहायक शस्य विज्ञानी के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व इसी पद पर कहां कहां कार्य किया उसकी सूची तालिका (क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) अभिलेखानुसार ऐसे तथ्यों की पुष्टि नहीं होती।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री **दीपंकर** : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारी ने अपनी उपस्थिति बताने के लिए जो कार्यवाही की उसकी जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री **खेतसिंह** : एक उनके मातहत श्री भीमसेन नाम का व्यक्ति कार्य करता था

(श्री खेतसिंह)
उनकी एक रिपोर्ट है। जो संयुक्त निदेशक कृषि विभाग के पास आई थी और उसी पर यह कार्यवाही चली।

श्री दीपंकर : इसका नतीजा क्या रहा ?

श्री खेतसिंह : इस जांच में यह पाया गया, उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा था कि ये अनुपस्थित रहते हैं और रजिस्टर के अन्दर कई दिनों तक ऐबसेन्ट रहने के बाद एक दिन हाजिर होकर दस्तखत कर देते हैं। जिस वक्त जांच की गई तो दस्तखतों में कोई गड-बड नहीं पाई गई। उन्होंने फोटो कापी की बात भी कही किन्तु जांच के वक्त उन्होंने कोई फोटो कॉपी पेश नहीं की। इसलिए इस पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपंकर : वे तथ्य आपके सामने पेश किये जायें तो क्या आप एक्शन लेंगे।

श्री खेतसिंह : निश्चित।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 647

नगर परिषद् जोधपुर को अनुदान के रूप में दी गई राशि

647. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जोधपुर नगर परिषद को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पचास पैसे की दर से अनुदान स्वीकृत करती है ?

(2) यदि हां तो किस वर्ष से कितनी जनसंख्या पर उपरोक्त राशि वार्षिक स्वीकृत की ? अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। और यदि कोई स्वीकृत राशि बकाया है तो कब तक प्रदान करदी जायेगी ?

(3) जिस वर्ष से उक्त प्रकार की अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है उस वर्ष के और आज के कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स और जनसंख्या के अनुपात में यह राशि तत्पश्चात क्यों नहीं दुहराई गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) वर्ष 1972-73 से वर्ष 1971 की जनसंख्या 3,17,612 के आधार पर 1,58,806/- रुपया स्वीकृत किया जा रहा है। इससे पूर्व 1961 की जनसंख्या 2,24,760 के आधार पर 1,12,380/- रुपया दिया गया है। उपरोक्त के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं है। कोई राशि बकाया नहीं है। इसलिए बकाया राशि दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

(3) अगले वित्तीय वर्ष से अनुदान एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मिलेगा। प्राईस इन्डेक्स से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप पूछते ही नहीं, मैं क्या करूं।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जनसंख्या के

(श्री अमृतलाल गहलोत)
आधार पर 50 पैसा से 1 रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

बमोरी घाटा की चरागाह की भूमि का आवंटन

648. श्री **जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बमोरी घाटा तहसील छीपा-बड़ोद जिला कोटा में सन 1967 से 1972 तक चरागाह की कितनी आराजी की किस्म बदल कर किस-किस व्यक्ति को अलॉटमेन्ट किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त चरागाह की किस्म किस अधिकारी द्वारा बदली गई है और क्या वह इसके लिए सक्षम था ?

(3) क्या यह सही है कि आराजी भूपतियों को अलॉट की गई है ? यदि हां तो राज्य सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) ग्राम बमोरी घाटा, तहसील छीपा बड़ोद, जिला कोटा में सन 1967 से 1972 तक आराजी खसरा नं. 912 की 12 बीघा 6 बिस्वा व 76 की 3 बीघा 5 बिस्वा जुमला 15 बीघा 11 बिस्वा चरागाह भूमि की किस्म बदली गई है। इस भूमि में से खसरा नं. 912 की 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि श्री मोहम्मद इदरीश पुत्र मोहम्मद कासम वकील निवासी छबड़ा को अलॉट की गई।

(2) खसरा नं. 912 की किस्म असिस्टेन्ट कलेक्टर, छबड़ा द्वारा व खसरा नम्बर 76 की किस्म परगना अधिकारी, छबड़ा द्वारा बदली गई है जिस के लिये वे सक्षम नहीं थे।

(3) यह सही नहीं है क्योंकि श्र मोहम्मद इदरीश भूमि पति नहीं हैं।

श्री **जगमोहनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है जब कि असिस्टेन्ट कलेक्टर और एस. डी. ओ. दोनों ही इसके लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे तो उनके द्वारा जो अलॉटमेन्ट की कार्यवाही की गई है वह अवैधानिक है। क्या राज्य सरकार इस अलॉटमेन्ट को निरस्त करेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

श्री **जगमोहनसिंह** : अध्यक्ष महोदय जब दोनों ही अधिकारियों को पावर नहीं था तो उनके द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक है। उसको तत्काल सेट असाइड किया जाना चाहिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, असिस्टेन्ट कलेक्टर और एस डी. ओ. को इस जमीन को कन्वर्ट करने की पावर नहीं थी। इसको कलेक्टर स्वयं देख रहे हैं। जमीन जो प्रेमराज सिंघवी के पजेशन में थी और जिसका नम्बर 175 है उसको निरस्त किया जा चुका है। अब आप यह बता रहे हैं कि काबिज है तो जानकारी प्राप्त की जावेगी।

श्री **जगमोहनसिंह** : आपने यह माना है कि इन दोनों अधिकारियों को कोई पावर

(श्री जगमोहनसिंह)
नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में इस सारी कार्यवाही को सेट असाइड करने के आदेश क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई कार्यवाही गलत हुई हो तो उस पर कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी है। वे इस केस को स्वयं देख रहे हैं।

प्रश्न संख्या 649

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

पंचायत सेवा चयन कमीशन को उम्र रिलेक्स करने का अधिकार

650. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान पंचायत सेवा चयन कमीशन ने सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति में उम्र रिलेक्स करने के लिये सिफारिश करीब 1 साल पहले की थी ? यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत सेवा चयन कमीशन को भी नियमानुसार उम्र रिलेक्स करने के अधिकार हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के नियम 10 के खण्ड (6) के अनुसार आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट के लिए आयोग स्वयं ही सक्षम है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयु में छूट दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग एक में अंकित कर दिया गया है।

एकलिंग मंदिर की चांदी

653. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि एकलिंग मंदिर के कोष में चांदी के स्वरूपशाही व कलदार रुपया तथा चढ़ावे की चांदी जमा थी ? यदि हां, तो पुराने चांदी के स्वरूपशाही तथा कलदार रुपये कितने थे और चांदी का मूल्य कितना था ?

(2) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अब वहां उक्त चांदी के स्वरूपशाही व कलदार रुपया कोष में उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हाँ, तो उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, एकलिंग मन्दिर की चाँदी की चोरी वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 653 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 653 स्थगित किया गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका, लाखेरी के विरुद्ध जांच

630. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7 सितम्बर, 1973 को गांधीपुरा में तेजाजी के मेले का आयोजन नगरपालिका, लाखेरी की ओर से किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या पालिका कैम्प से यह भी ऐलान किया गया था कि दिनांक 8 सितम्बर, 1973 को बाजार बन्द रखा जावे और काला दिवस मनाया जावे ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में नगरपालिका, लाखेरी के विरुद्ध कोई जाँच कराई ?

(2) क्या यह सही है कि उस दिन लाखेरी नगर में नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमेन के आह्वान पर बाजार बन्द था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 8 सितम्बर, 1973 को लाखेरी नगरपालिका कार्यालय बन्द था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि 8 सितम्बर, 1973 को लाखेरी कस्बे में अनुसूचित जाति की डोल यात्रा निकलने वाली थी ? यदि हाँ, तो क्या नगरपालिका ने इसमें सहयोग किया यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हर वर्ष की भाँति 7 सितम्बर, 1973 को गांधीपुरा में तेजाजी के मेले का आयोजन नगरपालिका द्वारा किया गया था। नगरपालिका कैम्प से यह ऐलान नहीं किया गया था कि 8 सितम्बर, 1973 को बाजार बन्द रखा जावे और काला दिवस मनाया जावे। अतः जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) नगरपालिका प्रशासक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाजार बन्द था बाजार किसके आह्वान पर बन्द हुआ यह जानकारी पालिका में नहीं है।

(3) राजकीय अवकाश के कारण बन्द था।

(4) जी हां।

उप-खण्ड दौसा में नियंत्रित वस्तुओं के डीलर्स

632. श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) **श्री रामचन्द्र पटेल** (हनुमानगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप-खण्ड दौसा में नियंत्रित वस्तुओं के कितने डीलर्स हैं ?

(2) इनमें कितनी सहकारी समितियां हैं और कितने व्यक्तिगत डीलर्स हैं ? सूची मय नाम, पते, संबन्धित ग्राम वार्ड आदि दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन स्थानों पर व्यक्तिगत डीलर्स को नियुक्त किया गया है उन में से कितने स्थानों पर सहकारी समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त स्थानों (खण्ड 3 में वर्णित) पर सहकारी समितियों को डीलर्स क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)
(श्री रामचन्द्र पटेल)

(5) क्या खण्ड 3 में वर्णित समितियों ने अपने आपको डीलर नियुक्ति हेतु एस. डी. एम. व ई. ओ., दौसा को प्रस्ताव व आवेदन-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो दिनांक आवेदन व उस पर निर्णय की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप-खण्ड दौसा में नियंत्रित वस्तुओं के 181 डीलर्स हैं।

(2) इनमें से 60 सहकारी समितियां है एवं 120 व्यक्तिगत डीलर्स हैं। एक दुकान अभी तक अलॉट नहीं हुई है। सम्मिलित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 120 व्यक्तिगत डीलर्स में से 114 स्थानों पर सहकारी समितियां हैं। तालिका के कॉलम 4 में अंकित है।

(4) जिन जिन कारणों से सहकारी समितियों को डीलर नियुक्त नहीं किया गया, का उल्लेख तालिका के कॉलम 5 में अंकित कर दिया गया है।

(5) जहां जहां प्राइवेट डीलर हैं वहां किसी समिति ने आवेदन नहीं दिया अतः आवेदन-पत्र व उस पर किये गये निर्णय की सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कालबेलियान को जंगल से बांस ले जाने की इजाजत

638. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि राज्य सरकार ने सन् 1955 में एक विज्ञप्ति के जरिए कालबेलियान को निर्धारित टैक्स अदा करने पर जंगलों से बांस ले जाने की इजाजत दे दी थी ? यदि हां, तो उक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विज्ञप्ति के अनुसार उदयपुर जिले के कालबेलियान बांस के उद्योग से अपना व्यवसाय अब तक चलाते रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मावली तथा राजसमन्द तहसीलों के कुछ गांवों के कालबेलियों को कोटड़ा जंगल अथवा अन्य जंगल से इस साल बांस लाने की मुमानियत कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कालबेलियों द्वारा जंगलों में अवैध रूप से भारी मात्रा में बांस काट लेने के कारण उन्हें इस वर्ष जंगलों से सूखे बांस निकास करने की अनुमति नहीं दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांख्यिकीय सहायकों की भर्ती

640. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार सांख्यिकीय सहायकों की सीधी भर्ती करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी कर्मचारी संघ ने सीधी भर्ती रोकने के लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या राज्य सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 6 के अन्तर्गत इन पदों पर 2/3 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है ।

(2) जी हां । प्रति संलग्न है ।

(3) राजस्थान सांख्यिकी सेवा एवं राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 7 पदों में से 5 पदों पर नियुक्तियां 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही की जाती है। केवल दो पदों पर पदोन्नति व सीधी भर्ती 1:2 के अनुपात में की जा रही है । सांख्यिकी तरीकों में नित्य नये शोधन एवं परिवर्द्धनों को दृष्टिगत रखते हुए नव शिक्षित व्यक्तियों का सेवा में इतना समावेश आवश्यक है, अतः इससे अधिक पदोन्नति का कोटा (Quota) बढ़ाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है ।

ग्राम पांचू को पैमाइश

642. श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिला, तहसील नोखा की ग्राम पांचू की पैमाइश पिछली बार कब की गई और अब फिर राज्य सरकार कब पैमाइश करवाने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पांचू की आज तक पैमाइश नहीं हुई है और काश्तकारों व खातेदारों के पास अपने खेतों व जमीन सीमा का कोई प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम पांचू की सरहद व खेतों का कोई राजस्व रिकार्ड का नक्शा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1926 में । साधनों के अनुसार कार्य हाथ में लिया जा सकेगा ।

Page No.30

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। अलबत्ता खसरा नम्बर काफी बड़े होने व उनमें अधिक संशोधन होना अवशेष होने के कारण सीमा के ज्ञात करने में कठिनाई होती है।

(3) जी नहीं।

किसान आन्दोलन

644. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970 में राजस्थान के गंगानगर व चूरू जिलों में किसानों की समस्याओं को लेकर एक किसान आन्दोलन किया गया था और हजारों किसान जेल भी गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि काफी लम्बे अर्से के बाद राज्य सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने राज्य विधान सभा में उन जिलों की समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ रियायतें देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो जिलेवार राज्य सरकार की घोषणाओं का ब्यौरा तथा मांगों की तफसील सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की घोषणाओं का आज तक पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? यदि किया गया है, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, घोषणाओं की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदिवासी क्षेत्र में शराब बन्दी

645 श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ जिले और तहसीलों में शराब बन्दी लागू कर रखी है ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ?

(2) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, सब डिवीजन प्रतापगढ़ एक आदिवासी एरिया है जहाँ शराब बन्दी होना जरूरी है ? यदि हां, तो यहां शराब बन्दी नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान के 6 जिले और 6 तहसीलों में शराब बन्दी लागू है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर एवं बाड़मेर जिले तथा उदयपुर जिले की 6 तहसील—झाड़ोल, खैरवाड़ा, कोटड़ा, गोगुन्दा, धरियावद एवं सराड़ा है।

(2) कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण शराब बन्दी का कार्यक्रम

(आबकारी मंत्री)

स्थगित कर दिया गया है । अतः सब-डिवीजन प्रतापगढ एरिया में शराब बन्दी लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री गंगानगर जिले में खाद का वितरण

649. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में रासायनिक खाद का किस-किस तहसील में किस-किस व्यक्ति को सप्लायर व दूकानदार कब से मुकर्रर कर रखे हैं ? उनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला गंगा-नगर में यूरिया खाद किसानों को बेचने के काम में धाँधली, घोटाला व गबन की शिकायतें विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों व अन्य सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध किसानों के नाम पर फर्जी यूरिया खाद बिक्री दिखा कर करने की हैं ? यदि हाँ, तो फर्जी बिक्री करने वाले व्यक्तियों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि हजारों काश्त-कारों के नाम पर फर्जी खाद की खरीद व बिक्री दिखा दी है ? यदि हाँ, तो किस-किस तहसील में व किस-किस काश्तकार के नाम से कितने-कितने रुपयों की खाद खरीद दिखायी गई है । नाम, गाँव, तहसील सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि खाद घोटाले में काफी अधिकारियों के खिलाफ जाँच आदि सरकार ने जारी कर दी है ? यदि हाँ, तो किन-किन के खिलाफ ?

(5) क्या काश्तकारों के नाम पर फर्जी खाद वितरण दिखाने व सरकारी धन का गबन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जिलाधीश, गंगानगर ने कोई केस बनाकर पुलिस के सुपुर्द किया है ? यदि हाँ, तो कब और उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला श्री गंगानगर की विभिन्न पंचायत समितियों में लाईसेन्स प्राप्त खाद विक्रेताओं की सूची मय लाईसेन्स प्रदान करने की तिथि के सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) फर्जी बिक्री सम्बन्धी तो शिकायतें प्राप्त नहीं हुई लेकिन अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जाँच जारी है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जिला कृषि अधिकारी, अनूपगढ़, जिला कृषि अधिकारी, सूरतगढ़ व कृषि सहायक (पौध संरक्षण), पीलीबंगा के विरुद्ध प्राप्त तथाकथित शिकायतों की जाँच करने हेतु क्षेत्रीय कृषि निदेशक, श्री गंगानगर को नियुक्त किया गया था किन्तु सम्पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी शिकायतकर्त्ताओं के द्वारा कथित आरोप सिद्ध करने हेतु कोई भी प्रमाण प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप जाँच अनिर्णित है ।

(5) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

ग्राम बीकासर व नोखा मंडी में भूमि का रजिस्ट्रेशन

119. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोखा के ग्राम बीकासर व कस्बा नोखा मंडी में पिछले तीन सालों में अर्थात् 1 जनवरी, 1971 से लेकर आज तक कितनी ऐसी भूमि के बेचान या हस्तानान्तरण का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो देवस्थान व मन्दिरों के पीछे सरकार द्वारा घोषित की गई है ? बेचने वाले व खरीद करने वाले व्यक्तियों के नाम व तादाद (बीघों में) भूमि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार देवस्थान व मन्दिरों की भूमि की बिक्री पर पाबन्दी लगाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त बेचान या हस्तानान्तरण में से अधिक कीमत की जमीन के रजिस्ट्रेशन को खारिज कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार इस तरह की भूमि के इन्तकाल को तुरन्त रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न राज्य के विचाराधीन है।

(3) रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए खारिज कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां, विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर जिले में अलॉट की गई भूमि

415. श्री हरीकिशन (राजगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

राज्य सरकार के उपनिवेशन मंत्री द्वारा गंगानगर जिले के 1969 से 1972 तक कितनी-कितनी जमीन किस-किस को अलॉट की गई और उसमें से किस किस अलॉटी ने अलॉट की हुई जमीन को बेच दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा आवंटन किये जाते हैं। उपलब्ध सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

आवंटियों में से श्री मंगतूराम पिता मृतक लांसनायक रामजीलाल ने आवंटित भूमि को बेचान कर दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

416. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन से जिले से

Page No.33

(श्री नन्दलाल बैरवा)
कितनी कितनी कृषि भूमि प्राप्त हुई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गई भूमि अनुसूचित जाति एवं अन्य भूमिहीनों को दे दी गई ? यदि हां, तो कौन कौन से जिले में कितनी कितनी भूमि वितरित की जा चुकी है ?

(स्थगित किया गया)

मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध

417. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने गत वर्ष जिला सवाई माधोपुर से मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा रखा था ?

(2) क्या यह सत्य है कि प्रतिबन्ध के बावजूद कृषकों को अपनी फसल को जिले के बाहर ले जाने की छूट थी ?

(3) सवाई माधोपुर जिले के कितने कृषक अपने माल को (मोटे अनाज) कितनी तादाद में अन्य जिले में बेचने के लिए ले गये ?

(4) क्या अधिकारियों ने माल ले जाने के पूर्व तसदीक की थी कि जिले के बाहर जो माल ले जाया जा रहा है वह वास्तव में उसी कृषक के खेत में ही पैदा हुआ था।

(5) उप खण्ड सवाई माधोपुर से कितनी ज्वार अन्य जिलों में कृषकों के नाम पर बेचने हेतु भेजी गई ? क्या भेजने वाले सभी कृषक थे ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, नोखा द्वारा कुओं के लिये दी गई राशि

418. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले की पं. स., नोखा में जबसे पं. समिति बनी तब से आज तक कृषि कुओं के लिये किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी धनराशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र में सिंचाई के कुओं का कार्य किस किस व्यक्ति ने पूर्ण कर सिंचाई कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचायत समिति, नोखा द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण

419. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पंचायत समिति नोखा, जिला बीकानेर की प्रा. शालाओं में तेल व दलिया

Page No.34

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

व अन्य पौष्टिक पदार्थ (खाद्य सामग्री) बच्चों के लिये सी. एस. एम. स्कीम द्वारा कब से चालू किया गया और आज तक नोखा पं. समिति में कितना आया और किस किस स्कूल में कितनी कितनी सामग्री वितरण की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि वितरण व्यवस्था बच्चों की संख्या जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके आधार पर की गई है ? यदि हाँ, तो विद्यार्थियों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सी. एस. एम. स्कीम जनवरी, 1969 से चालू की गई थी। जनवरी, 69 से जून, 72 तक की सूचना एकत्रित की जा रही है। और जुलाई, 72 से सितम्बर, 73 तक की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ। जुलाई, 72 से दिसम्बर, 73 तक सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इस का उल्लेख किया हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

मासलपुर एवं रामपुरा फतेहपुर ग्रामों की जल प्रदाय योजना

420. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मासलपुर तथा ग्राम रामपुरा फतेहपुर में जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई ?

(2) क्या इन ग्रामों ने निर्धारित एडवान्स डिपोजिट की धन राशि जमा करा दी है ? यदि हाँ, तो इन ग्रामों में जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक चालू होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन दोनों ग्रामों के अलग अलग 2500) रुपये जन सहयोग राशि के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इन ग्रामों की जलप्रदाय योजना अभी बनाई जा रही है योजना बनाने के उपरान्त धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनाक 12-3-74 व दिनांक 22-3-74)

बीकानेर जिले में 'कासा' एजेन्सी द्वारा काश्तकारों को कुए बनाने के लिये अनुदान

77. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कासा एजेन्सी द्वारा कितने काश्तकारों के खेतों में सिंचाई के कुए बनाने के लिए अनुदान दिया गया ? किसान का नाम, गाँव, तहसील दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कासा एजेन्सी के द्वारा बीकानेर जिले में प्राथमिक पाठशाला भवन, मिडिल स्कूल भवन आदि बनाने के लिए अनुदान दिया गया है ? यदि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
हां, तो किस-किस गांव में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में कासा एजेन्सीज के द्वारा स्कूल भवन, कुए आदि बनाने के लिए अनुदान दिया जाने का बजट है ? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के कुए आदि बनाने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

पंचायत समिति, पिंडवाड़ा व आबू रोड क्षेत्र मे काश्तकारों को गेहूँ के बीज का वितरण

223. श्री भूराराम (आबू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की पंचायत समिति, पिंडवाड़ा, पंचायत समिति, आबूरोड दोनों ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की समितियाँ हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गेहूं का बीज तकाबी से काश्तकारों को वितरण करने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो पंचायत समिति, आबू रोड़ के विकास अधिकारी द्वारा कितने काश्तकारों को कितना कितना गेहूं या बीज तकाबी से दिया ? कितने काश्तकार को रोकड़ से दिया तथा कितने काश्तकार इस लाभ से वंचित रहे ? कृपया अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें। पंचायत समिति, पिंडवाड़ा के विकास अधिकारी ने कितने काश्तकारों को गेहूं का बीज तकाबी से वितरण किया तथा कितने काश्तकारों को रोकड़ से वितरित किया ? तथा कितने काश्तकार इस लाभ से वंचित रहे ? कृपया अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वितरण प्रणाली में कोई दोष रहा है ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

जी हां। राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गेहूं का बीज उधार पर देने के आदेश 9-11-73 को दिऐ थे जो विकास अधिकारी को जिला स्तर से दिनांक 14-11-73 को तार द्वारा प्राप्त हुए तथा विकास अधिकारी, पिण्डवाड़ा को दिनांक 10-11-73 को प्राप्त हुआ। उक्त पंचायत समितियों की प्रश्न में चाही गयी सूचना निम्न प्रकार है :—

	नगद पर		उधार पर		अन्य सहकारी समिति	
	कृषक संख्या	मात्रा	कृषक संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा
आबू रोड	994	833-06-000	82	36-40-000	—	
पिण्डवाड़ा	2273	2206-50-200	397	260-49-820	16	781-39-900

(कृषि मंत्री)

(2) राज्य सरकार के आदेश की प्राप्ति के बाद जो बीज शेष था उसको उधार पर दिया गया।

(3) जब उधार पर देने की नीति की स्वीकृति केन्द्र सरकार से दिनाँक 7-11-73 को आयी तो राज्य सरकार ने दिनाँक 9-11-73 को आदेश जारी किए। विकास अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दिनाँक 14-11-73 तथा 10-11-73 से उधार पर देना कोई विलम्बनीय नहीं या तदनुसार कोई दोष नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

अलवर जिले में सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण रोकने हेतु आदेश

282. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिलाधीश ने आज्ञा सं. 4170-238, दिनांक 28-9-72 को सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु आदेश जारी किए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और किस किस ने अनाधिकृत निर्माण कार्य करवाया ?

(2) क्या यह सही है कि अनाधिकृत निर्माण कार्य न होने की दृष्टि से अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ से कोई मानचित्र तैयार कराए और तहसीलदार को भेजे ? यदि हां, तो उसमें किन किन व्यक्तियों ने सर्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर भवन अथवा डंडा बनाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त आदेश समस्त जिले पर लागू था ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलवर ने अनाधिकृत निर्माण आदि के सम्बन्ध में तैयार नक्शों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब यथाशीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुपालन में 205 अभियोग दर्ज किए गये व उन पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमणियों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं। अतिक्रमण की सूचना पत्र द्वारा प्रेषित की थी।

(3) जी हां। धारा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

चूने के पत्थर के भण्डारों के सर्वे

304. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर-टाटगढ़ तक, ब्यावर-रास बाबरा, ब्यावर-सेन्द्रा और ब्यावर-मसूदा तक के क्षेत्रों में चूने के पत्थर के भण्डारों का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में यह पत्थर उपलब्ध हैं ?

(2) क्या यह पत्थर सीमेन्ट उद्योग के काम में आने लायक हैं ? क्या इस पत्थर की क्वालिटी सबसे बेहतर है ? यदि हां, तो इस पत्थर को उपयोग में लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा ब्यावर-रास-बाबरा, ब्यावर सेन्द्रा और ब्यावर-टाटगढ़ क्षेत्रों में और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा शिवपुरा लुलवा क्षेत्र में चूने के पत्थर का सर्वे कार्य किया गया है। रास-बाबरा क्षेत्र के एक भाग में विस्तृत जाँच द्वारा सीमेन्ट बनाने योग्य चूने के पत्थर के लगभग 4.5 करोड़ टनी भण्डार सिद्ध किये गये हैं। शिवपुरा-लुलवा क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जाँच की गई और उनकी रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ियों की चोटी से लेकर जमीन की सतह से 30 मीटर की गहराई तक लगभग 60 करोड़ टनी सीमेन्ट बनाने योग्य चूने के पत्थर के भण्डार मिलने की सम्भावना है। ब्यावर-टाटगढ़ एवं ब्यावर से सेन्द्रा क्षेत्रों में भी चूने के पत्थर की प्रारम्भिक सर्वे जाँच की गई लेकिन उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) रास-बाबर और शिवपुरा लुलवा क्षेत्रों में उपलब्ध चूने के पत्थर को सीमेन्ट बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है।

इस क्षेत्र में मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी को पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

ब्यावर के गाँव केसरपुर व सूरजपुर क्षेत्र में मैसर्स मैसूर सीमेन्ट वर्क्स लि. को सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु अनुमति दी गई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के आँकड़े

306. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान प्रान्त में जिलेवार क्षेत्रानुसार योजना व्यय, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में हुआ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के अलग अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

उत्तर

राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं

(योजना मंत्री)

हैं। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनायें 1966-69 तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969-71) के अलग अलग क्षेत्रवार व्यय के आँकड़े संलग्न तालिकाओं में दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के प्राध्यापकों के नये वेतन ग्रेड स्वीकार करने की घोषणा न करने के विषय में।

(2) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनाँक 1 अप्रेल से हॉफ ए मिलियन जॉब प्रोग्राम में लिये गये सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिप्लोमा तथा डिग्रीधारी कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर देने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1 अप्रेल से कार्यवाही न करने के विषय में। यह प्रश्न राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है और घटना विशेष पर आधारित नहीं है।

(4) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री हीरालाल चण्डालिया, अध्यक्ष, संजीवन क्रय विक्रय समिति द्वारा फतेहनगर स्थित सालवेंट प्लाण्ट में भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर उक्त क्रय विक्रय समिति के डाइरेक्टर को प्रशासनिक अधिकारों से मुक्त कर देने के विषय में। यह प्रश्न का विषय है।

(5) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से नारी-के-नाके, जयपुर में सरकारी जमीन में लकड़ी की थड़ियों और दुकानों के अवैध निर्माण के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है।

(6) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में दूषित पेय जल के वितरण के विषय में। इस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो चुकी है और यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

(7) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से:—

(1) तहसील पदमपुर और करनपुर में हरिजनों द्वारा सवर्णों को बेची गई भूमि के सम्बन्ध में दायर किये गये मुकदमे रिश्वत के आधार पर खारिज कर देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) एस. डी. ओ., राजस्व, करनपुर के न्यायालय में कुछ मुकदमों को जिनमें पूर्व में फैसला हो चुका था दुबारा विचारार्थ लिये जाकर जमीन को सरकारी कब्जे में करने के विषय में।

ये दोनों ही प्रश्न न्यायालय में निर्णयाधीन मुकदमों से सम्बन्धित हैं और इनमें मानहानिकारक आरोप भी लगाये गये हैं।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपने हीरालाल चण्डालिया के विषय में क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न का विषय है। चेम्बर में आकर बात कर लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, सहकारिता मन्त्री बैठे हैं, जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, उसमें अध्यक्ष और डायरेक्टर के बीच में इस बात पर मतभेद पैदा हो गया है कि कौन गबन कर गया है। लाखों रुपयों का गबन हुआ है। प्लान्ट बन्द पड़ा हुआ है। जनता का लाखों रुपया लगा हुआ है। मन्त्री महोदय जानकारी कराके जांच करायें। लाखों रुपया इस सरकारी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। एक व्यक्ति किस प्रकार से दुरुपयोग करता है। इम्बेजलमेण्ट करता है। इससे मजदूर बेकार हैं। क्या राज्य सरकार से यह मांग नहीं की जा सकती है कि इसकी जांच की जाये। मै आशा करता था, अध्यक्ष महोदय, आप जांच के लिए भेज देंगे। राज्य सरकार से इसकी जांच करा दें तो पता चलेगा। राज्य सरकार का लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेंट इसमें है। इस फतेहनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में प्लाण्ट लगा हुआ है। इसमें लाखों रुपयों के घोटाले हुये हैं। माननीय मन्त्री महोदय जांच करायें तो पता चलेगा। इसके बन्द रहने से मजदूर बेकार रहेंगे। यह सहकारिता के नाम पर कलंक रहेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है अवैध शराब के बारे में ....

श्री अध्यक्ष : अवैध शराब के प्रस्ताव का मैंने जिक्र नहीं किया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अवैध शराब का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी व कॉलेजेज के प्राध्यापकों के पे स्केल की सिफारिश के बारे में था। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की घोषणा के अनुसार जो भी राज्य सरकारें वेतन मानों को स्वीकृत करके लागू करेंगी उनको केन्द्रीय सरकार 5 वर्ष तक 80% व्यय वहन करेगी। राजस्थान के लेक्चरार्स, प्रोफेसर आदि जो हैं वह काफी समय से यह मांग करते रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन की सिफारिश उन पर लागू की जाये। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की घोषणा के बाद अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
है। जो भी इस तरह के प्राध्यापक हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके बारे में राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में घोषणा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और जैसे कि मालवीया इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। यह साफ नहीं है कि आया केन्द्रीय सरकार के पे स्केल उन पर भी लागू होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि केन्द्रीय सरकार की घोषणा के अनुसार यह केवल उन्हीं पर लागू होंगे, जिन पर यूनिवर्सिटी पे स्केल पहले से ही लागू हैं। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक पे स्केल लागू नहीं हैं। लेकिन जब इन पर लागू हो सकती हैं तो उन पर भी लागू होनी चाहिए। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी लागू होनी चाहिए। रीजनल कॉलेज को 50% ग्राण्ट केन्द्रीय सरकार देती है और 50% राज्य सरकार देती है। तो मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान में बहुत थोड़ी संख्या इन लोगों की है और तमाम प्रान्त में कॉलेजेज फैले हुये हैं। तीन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनसे हजारों प्राध्यापकों का जीवन जुड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने जानकारी देने की व्यवस्था दी है। इस पर शीघ्र से शीघ्र वक्तव्य दिलाने का प्रयत्न करें। माननीय मन्त्री महोदय इसके लिए कोई डेट फिक्स कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री **केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1 अप्रेल से कार्यवाही न करने के विषय में मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने जो व्यवस्था दी है, मेरा निवेदन है, 1 अप्रेल से यह योजना लागू हो जानी चाहिए। आज 2 तारीख हो गई है। इसके बारे में 3 महीने या 6 महीने का समय होगा। यह एश्योरेंस मिल जाना चाहिए। 11 तारीख के बाद विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायेगी। इस बारे में अनिश्चितता दूर हो जानी चाहिए। राज्य सरकार इसको कब तक लागू करेगी ?

श्री **रामानंद अग्रवाल** : ऑन ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री **केदारनाथ** : पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन हुआ है। पार्टी में डिस्कशन होने से पहले हाउस को विश्वास में नहीं लेना, यह प्रिविलेज का मोशन है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्ट्रेटिजी एण्ड ऑब्जेक्ट्स तय किये हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस प्लान के साथ में जस्टिस करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस पर डिस्कशन करे। एक दिन, दो दिन, या चार दिन इस पर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं तो हाउस अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायेगा।

दूसरा मेरा और स्थगन प्रस्ताव है, जिसको जानकारी के लिए भेजा है। पी. डब्ल्यू. डी. में इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, साइन्स ग्रेजुएट काम करते हैं, पहले फेमिन में उनको एब्जोर्ब किया, फिर हाफ ए मिलियन जोब स्कीम में काम किया। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी का लेटर चीफ इंजिनियर को आया है, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने

(श्री केदारनाथ)

केन्द्रीय सरकार को कमिटमेंट दिया था कि जो लोग हाफ ए मिलियन जोब स्कीम में काम कर रहे थे, जिन्हें 1973-74 में एब्जोर्ब किया था, उनको 1974-75 में काम देना पड़ेगा। और दूसरे डिपार्टमेंट हैं, स्टेट के उन्होंने प्लान एलोकेशन के मार्फत उन्हें काम दे दिया, उनको कन्टीन्यू करा दिया, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. ने नहीं दिया है और 1 अप्रेल से उनको बाहर कर दिया है, जबकि सारे डिपार्टमेंट ने उनकी सेवायें रेगुलेराइज कर दी हैं। जब कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का लैटर है और स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि उन सब लोगों को, जिन्हें हाफ ए मिलियन जोब स्कीम में लगाया था, 1974-75 में एब्जोर्ब करेंगे, जब यह कमिटमेंट है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट आये और लाजिमी उस पर विचार कर इन लोगों को पी. डब्ल्यू. डी. एब्जोर्ब करे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या फैसला किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं ......

श्री अध्यक्ष : आपका एक स्थगन प्रस्ताव है। मैंने व्यवस्था सुनाई है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : दो हैं, दो पर सुनाई है।

श्री अध्यक्ष : दो पर सुनाई है तो दो पर सुना दीजिये। जिन पर व्यवस्था सुनाई है उन पर फर्मा दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : दो के लिए कह रहा हूं। उसमें मेरा कहना यह नहीं है कि उनमें फैसला हुआ, क्या फैसला नहीं। मैं फैसले पर बहस नहीं करना चाहता हूं। मेरे कहने का यह मतलब है कि हरिजनों के केसेज हैं, हरिजनों की जमीन ट्रान्सफर हो गई, सरकार के कानून के अन्दर यह था कि तीन साल के अन्दर अन्दर वह जमीन को वापिस लेने के लिए मूव कर सकते हैं, बाद में 12 साल कर दिया गया। उनके लिए तहसीलदारों ने केसेज मूव किये, पार्टी को बुलाया गया, लेकिन पार्टी को सुना नहीं गया। और घर बैठे बैठे वहां के एस. डी. ओ. फैसला कर देते हैं। वहां पर हीयरिंग की डेट मुकर्रर होती है उन डेट को उन लोगों का फैसला नहीं सुनाया जाता है, उनको नहीं बताया जाता है कि आगे क्या हो रहा है। यह जो फैसले को कैंसिल करने के मामले हैं, जिनके द्वारा हरिजनों का जो हक था जमीनों पर वह वापिस मिलना चाहिए। लेकिन उनको उस हक से महरूम किया जा रहा है। यह करणपुर में आमतौर पर चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि गंगानगर में ऑफिसर इसलिए भेजे जाते हैं कि वहां जाकर धन इकट्ठा करें। वहां एस. डी. ओ. है....

श्री अध्यक्ष : सब जुडिस हैं मामले, ज्यादा न कहें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मै इसके मुतेल्लिक नहीं कहूंगा, फैसले क्या करते हैं। मैं यह कहता हूं कि वह सुनते नहीं हैं, वह अदालत में केसेज नहीं लेते और वहीं बैठे बैठे सारे फैसले कर देते हैं, इसी तरह से सीलिंग के केसेज हैं, उन्होंने सारे दाखिल दफ्तर कर दिये बिला किसी नोटिस के, फिर रीओपन कर दिये गये....

श्री अध्यक्ष : सब रिवीजन के सवाल हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : दो मेरे स्थगन प्रस्ताव हैं, मैं दो की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो हों, चार हों, दस हों। इर्रेगुलेरिटी है तो रिवीजन करना चाहिए।

श्री गुरदयालसिंह संधु : रिवीजन करना चाहिए। मैं रिवीजन के लिए नहीं कहता। रिवीजन करें, ना करें। मैं कहता हूं, जो कुछ केसेज हैं, वह वगैर पैसे के कोई काम नहीं करते है। घर बैठे वह फैसला लिखते हैं। सरकार को चाहिए उसमें दखल दे और उनको रोक कर इस बात के लिए मजबूर करे कि कोर्ट में फैसला करें, जो भी करें, गलत करें, सही करें, कोर्ट के अन्दर फैसला सुनाना चाहिए। यही मेरा निवेदन हे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है, आपने फैसला फर्माया कि अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, सही है आपके फर्माने के अनुसार। मुझे यह निवेदन करना है कि इसकी अहमियत इसलिए है कि इस हरिनारायण ने जमीन रोकी है, यू. आई. टी. की बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके बारे में बहुत बार सवाल उठाया है और यह जवाब मिला है मन्त्री महोदय से कि इसने जो भी अनधिकृत कब्जा किया है, उससे इसको बेदखल किया जायगा और यू. आई. टी. द्वारा कब्जा जमीन का लिया जाकर यह जमीन सही लोगों में वितरण की जायगी। एक ओर राज्य सरकार 125-130 स्क्वायर गज जमीन भी गरीब लोगो को देने में दिक्कत महसूस कर रही है, उसमें भी कठिनाई पेश हो रही है। यहां तक कि जिन लोगों को पट्टे दिये जा चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा उन पट्टों पर भी अमल नहीं किया जा सका है, दूसरी तरफ नगर विकास न्यास की जमीन का लोग शोषण कर रहे हैं, अनधिकृत रूप से उन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं लोकल सेल्फ मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह बातचीत न करें और हमारी तरफ तवज्जह फर्मायें....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। नो टाक्स।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मिनिस्टर साहब, लोकल सेल्फ मिनिस्टर गुफ्तगू फर्मा रहे हैं, वह हमें सुनना नहीं चाहते हैं यह जुदा बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कठिनाई आ रही है कि जमीन को किस तरह से वितरित किया जाय, वहां दूसरी तरफ अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है, यू. आई. टी. की जमीन है, लेकिन राज्य सरकार कदम नहीं उठा रही है। इस हरीनारायण के लिए विश्वास दिलाया गया था सवालों के वक्त कि जो अनधिकृत रूप ने कब्जा करता है उसको बेदखल किया जावेगा। पहले चार सौ स्क्वायर गज जमीन थी, अब आठ सौ, एक हजार गज जमीन पर कब्जा कर लिया है, उस पर थड़ियां लगा रखी हैं। इनका वह किराया वसूल करता है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का सवाल है या नहीं, सवाल यह है कि राज्य सरकार, ऐसे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अनधिकृत कब्जे जिन्होंने किये हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिए और यह जमीन उनको अलॉट करनी चाहिए जो कच्ची बस्ती में आबाद हैं। मैंने लोकल सेल्फ मिनिस्टर की तवज्जह दिलाने के लिए यह सवाल किया है। यह सवाल सवालों के के वक्त में भी उठाया गया था। एक मंदिर का पुजारी है, उसने मन्दिर बना रखा है। मंदिर के पुजारी को बेदखल करने के लिए हरीनारायण बराबर कोशिश कर रहा है, उसने थड़ियां लगा रखी हैं, जो उसकी मर्जी के खिलाफ किराया अदायगी में दिक्कत करता है, उसको उठा कर फैंक देता है, थड़ी जला देता है, इस पर राज्य सरकार को तवज्जह देनी चाहिए और अनधिकृत कब्जा जिसने किया है, उसको बेदखल करना चाहिए। इसलिए इसका महत्व है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक खाद्यान के सम्बन्ध में........

श्री अध्यक्ष : वह आपकी जानकारी में है मैंने फैसला सुनाया नहीं है। वह आपकी जानकारी में है कि वह मेरे विचार में है और उस पर कार्यवाही हो रही है और कार्यवाही होकर वह आपके सामने आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस रोज खाद्य मंत्री ने कहा था कि वह डिबेट कराने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव . माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर शहर में लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। दूसरी ओर जो भी मिल रहा है, वह पानी भी दूषित जल है और जैसा मैंने जन स्वास्थ्य विभाग की डिबेट के वक्त निवेदन किया था कि कई स्थानों पर गटर लाइन का कनेक्शन, जो वाटर लाइन जलदाय विभाग की गई है, उससे हो जाने के कारण उनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था होने के कारण गटर लाइन का पानी उसमें प्रवेश कर जाता है। इस कारण जयपुर शहर के लोगों का अशुद्ध जल मिल रहा है। यही नहीं, अशुद्ध जल के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दवा के बारे में बड़े छापे मारे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा कदम उठा रहे हैं, ताकि अशुद्ध दवा न मिले। लेकिन लोगों को अशुद्ध राशन मिल रहा है और वह भी पूरा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आज प्रदर्शन विधान सभा के सामने हो रहा है। जो मेरे एडजोर्नमेंट मोशन थे, खाद्यान्न के वितरण के बारे में, राष्ट्रीयकरण की नीति के असफल हो जाने के बारे में। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि शुद्ध दवा लोगों को मिलनी चाहिए, शुद्ध राशन लोगों को मिलना चाहिए। यह जरूरी बात है। लेकिन आज शुद्ध पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि रामगढ़ बंधे से पानी आता है लक्ष्मण डूंगरी उसमें सफाई की व्यवस्था प्रापर्ली होनी चाहिए। किस प्रकार बजरी डालनी चाहिए, किस प्रकार सफाई की जानी चाहिए—उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई माननीय सदस्य चल कर देखना चाहें, तो चलें, वहां पर काई की तह लगी हुई है, उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से अमानी शाह से लाइन आती है, अमानी शाह के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कुए वर्षों से बने हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75 कुओं की सफाई, जब से कुए बने हैं, तब से नहीं की गई है जब कि नियम यह है कि जो वाटर लाइन डाली है, उसको वाश आउट करना चाहिए, सफाई की व्यवस्था वर्ष में, छः महीने में करनी चाहिए । लेकिन वह नहीं होती । अच्छी दवा नहीं, अच्छा, भली प्रकार का भोजन नहीं । और जन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जयपुर शहर में चौबीस घंटे पानी मिलता है । यह असत्य है । सुबह सात बजे भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है । टंकियां सूखी पड़ी हुई हें । इससे जयपुर शहर के अन्दर गन्दगी फैल रही है । गर्मी भी आने वाली है, और गन्दगी फैलेगी········

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फर्मायें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : थोड़े में निवेदन करने जा रहा हूं । मेरी प्रार्थना यह है, सदन में जब यह प्रश्न मैं उठाता हूं जन स्वास्थ्य मंत्री यह कह कर कि मैं उनको हर साल तोफा लाता हूं, वह हल्की फुल्की बात कह कर, साधारण बात मान कर, टाल जाते हैं । मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार टालना नहीं चाहिए । वह भी माननीय सदस्य हैं, वह आज मंत्री हैं और मैं साधारण एम. एल. ए. हूं, और विरोधी पक्ष में होने पर भी सही बात रखूं तो जन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, जो चीज खराब है, उसको खुले रूप से सत्तारूढ़ दल के मंत्री होने के नाते माननी चाहिए, चाहे दवा का प्रश्न हो, चाहे राशन का प्रश्न हो, चाहे पीने के पानी का प्रश्न हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, कल और परसों पुरानी बस्ती में कपिलदेव गौतम, जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता हैं, और स्वतन्त्रता संग्राम के बहुत बड़े सेनानी हैं, उनके मकान के पास और उनके मकान में और यहां पर जो भूतपूर्व विधायक दुर्गालाल बाढ़दार हैं, जो मेरे क्षेत्र से चुन कर बराबर दस साल तक आये हैं उनके चौक में बिल्कुल गन्दा पानी निकला है और इस प्रकार चौगान की जो हरिजन बस्ती है, हरिजन मौहल्लों में चौगान जो गणगौरी बाजार में है, प्रातःकाल और सायंकाल मल-मूत्र मिला हुआ पानी, टट्टी मिला हुआ पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है, मन्त्री महोदय मेरे साथ चलें तो मैं उसको वह जल पिलवाने की व्यवस्था कर सकता हूँ । कल श्री कपीलदेव के नल से यह पानी निकला है, वह गन्दा ही नहीं, मैं तो उस पानी का नमूना लाया हूँ, इसमें काला सर्प है जीवित है, इस बोतल के डाट में छेद किया हुआ है ताकि विधान सभा में दिखने तक यह सर्प जीवित रह सके, बहुत बड़ा सर्प ···

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसके बाद इसका दाह कर्म होगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार इतना बड़ा सर्प पीने के पानी में आए, मटके में चला जाए, यदि कोई आदमी भोग लगाकर पीए, सर्प पेट में चला जाए तो जयपुर शहर में जितने भी लोग हैं चाहे विधायक हों····

श्रीमती नगेन्द्रबाला : शीशी तो वहां से हटा दो आपको काट खाएगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोतल में दाखिल कैसे हो गया ?

Page No.45

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डाटे में छेद किया हुआ है ताकि हवा आती रहे और सर्प जीवित रहे !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सर्प पकड़ा कैसे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाल्टी में आया है चाहें तो बाल्टी ले आऊं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विधान सभा में अगर कोई म्यूजियम हो तो इसका वहां रखवा दिया जाए। हर साल ये लोग 5-6 नमूने ले आते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य यदि हँसी में टाल जायं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे सर्प पुरानी बस्ती में ही कैसे निकलते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में कहीं भी ऐसी समस्या हो सकती है। मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी की भावना से ही नहीं कहता हूं। आपको कई लोग शिकायत करते होंगे, आप जयपुर शहर में रहते हैं लोगों के पेट में भयंकर कीड़े रहते हैं उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। श्री गोटेवाला का पेट लम्बा चौड़ा हो गया है, इनके पेट में भी कीड़े हैं, कीड़े बुलबुलाते हैं और वह खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके पेट में गोटे हैं और आपके पेट में गोलियां हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों के पेट में भयंकर रूप से कीड़े हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके कीड़े निकलवाने की व्यवस्था करें, रोज इनके माथे में कीड़े रहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके माथे में जो कीड़े घुस गये हैं वे 1977 में निकल जायेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पेट के कीड़े उतने खतरनाक नहीं हैं जितने कि दिमाग के ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हांडाजी के दिमाग में हमेशा कीड़े घुसे रहते हैं। लोगों को मल मूत्र मिला हुआ पानी मिल रहा है और अमानीशाह से जो पानी आता है लक्ष्मण डूंगरी में उसकी सफाई कम से कम वर्ष में एक बार हो सके और लोगों को इस प्रकार कीड़े मिला हुआ पानी मिलने से उनकी हालत खराब हो रही है, जयपुर की जनता के पेट में कीड़े हैं इसलिए इस प्रश्न को गम्भीर समझकर जन स्वास्थ्य मन्त्री····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए राजधानी जयपुर से हटाकर जोधपुर ले जाइए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को ताड़ना दें कि इस प्रकार के पेयजल के वितरण की जो प्रथा है, उसमें सुधार हो सके ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जयपुर बड़ी खतरनाक जगह है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : आज ही मिला है, अंडर इग्जैमिनेशन है, When I find it in order, then you can speak.

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री शान्तिलाल कोठारी वि. संख्या 159 ने दिनांक 17 मार्च, 1974 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों मे अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र अधिसूचना

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1951 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1 (3) परि. /74, दिनांक 17 जनवरी, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

दकाल के सम्पादक को जान से मारने की धमकी

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सर्व श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा व निरंजननाथ आचार्य, सदस्यों, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं:—

16 मार्च से श्री घनश्याम लाल लाड़ला के मकान को घेरने या गुंडों द्वारा चाकू-छूरे से उन पर हमला करने का आरोप निराधार है। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री लाड़ला के विरुद्ध दिनाक 20-3-74 को थाना कोतवाली, बूंदी में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13-3-74 की शाम को एक महिला जहां श्री लाड़ला रहते हैं उसी मकान में रहती है, के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसकी पुलिस द्वारा तफतीश प्रारंभ की गई। श्री लाड़ला इस घटना के बाद से ही फरार रहे। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद वे तारीख 28-3-74 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जब अग्रिम जमानत हेतु जा रहे थे तब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की लेकिन इस गिरफ्तारी से वे छुड़ा कर कोर्ट में दाखिल हो गए। इस गिरफ्तारी से छुड़ाने के प्रयत्न में पुलिस के कुछ सिपाहियों को चोटें आई और इसी सिलसिले में श्री लाड़ला को भी कुछ मामूली चोटें आई होगी। श्री लाड़ला ने इसकी कोई शिकायत पुलिस के किसी उच्च अधिकारी या कलेक्टर, बूंदी को नहीं की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : परम्परा हो गई है कि पत्रकार का सवाल आए और उसको औरत के साथ जोड़ा जाए। पहले गंगानगर का भी स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें भी औरत को बीच में लगाया गया

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और अंदेशा था कि दकाल के सम्बन्ध में भी महिला को ही जोड़ा जाएगा। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि दकाल ने अपने को अदालत के सामने समर्पित किया और समर्पण करने के दौरान में पुलिस वालों ने इसको पकड़ा और इसके साथ झगड़ा हुआ, झगड़े में इसे जरवातें पहुंची और वे पुलिस वालों द्वारा पहुँचाई गई ?

दूसरी बात आपने जो बलात्कार का प्रश्न इसके साथ नत्थी किया है इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और कोई नहीं हो सकती। चोरी का मामला, डकैती का मामला कम पड़ता है। कोई गंभीर अपराध पेनल कोड में ऐसा नहीं है जैसा बलात्कार। इसलिए बलात्कार का प्रश्न आपके यहां जोड़ा गया लेकिन यह प्रश्न एक जनरलिस्ट का है जो बराबर पुलिस के मामलों को, भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाशन में लाता रहा है और पुलिस के पास भी ऐसा कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता सिवाय बलात्कार के।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह महिला उस मकान में नहीं रहती जहां पर दकाल के सम्पादक का मकान है। क्या उस मकान का आधा हिस्सा दकाल के सम्पादक के कब्जे में नहीं है ? इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस महिला ने पुलिस में जो एफ. आई. आर. दकाल के सम्पादक के खिलाफ में दी उसकी नकल आपके पास है। क्या उसने उस रिपोर्ट में बलात्कार का लिखा या उसने इनडिसेन्ट असाल्ट का लिखा है। मैं माननीय मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बलात्कार में और इनडिसेन्ट एसाल्ट में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। दकाल के सम्पादक पर वहां के सब इन्सपेक्टर पुलिस, श्री नन्दसिंह ने उस पर इनडिसेन्ट एसाल्ट को बलात्कार का केस बनाने की कोशिश की। इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आदमी के खिलाफ में पहले कोई मुकदमा डिफेमेशन का लगाया गया ? और उस डिफेमेशन के केस में उस पर जुर्माना हुआ था और उस जुर्माने को वहां की जनता ने जमा चन्दा करके के करवाया था ?

(12.31 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह पता लग सकता है कि उस पत्रकार की लोकप्रियता कितनी है पुलिस उस व्यक्ति पर बार बार मुकदमे करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है पहले डीफेमेशन का उस पर केस चलाया। इस का कारण यह है कि वह पत्रकार इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में भ्रष्टाचार के तथ्य जनता के सामने प्रकाश में लाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस उस पर बार बार मुकदमें एक के बाद एक बना कर उसको फंसाने की कोशिश में है और वह पुलिस के साथ निरन्तर संघर्ष कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक पत्रकार के खिलाफ में क्या इस तरह के बलात्कार के चार्ज लगाना लज्जाजनक नहीं है ? क्या पत्रकारिता के जगत के लिये भी यह लज्जाजनक बात नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास एक यह बलात्कार का ऐसा वेपन है जो कि किसी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है इस केस में भी उस पर ऐसा ही प्रत्यन किया गया है। ऐसे जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकेखिलाफ में यह वेपन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

काम में लिया जाता है यह अक्सर हर केस में पाया गया है। और पुलिस को अगर कोई चारा नहीं हो तो उसके द्वारा बलात्कार वेपन किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह एफ. आई. आर. को देखें और अगर वह उनके पास अभी नहीं हो तो उसे वहां से प्राप्त करके गौर से पढ़ें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को कि वह अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट बतावें कि वह कभी भी आइन्दा किसी भी पत्रकार की पोपूलरटी को समाप्त करने के लिये उसकी इन्टीग्रिटी के संबंध में ऐसे वेपन काम में नहीं लायें। इसके अलावा। आप जो भी सूचना दे रहे हैं यह नौकरशाही के द्वारा भेजी हुई दे रहे हैं इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए सदन में प्रजातंत्रीय भाषा वाले नौकरशाही की नहीं। ताकि प्रजातन्त्र में काम करने वाले और पत्रकारिता जगत में काम करने वाले लोगों को न्याय मिल सके।

श्री राजेन्द्र भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय चूंकि यह प्रश्न मेरे कान्स्टीटूएन्सी से सम्बन्धित है अतः मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ! आपकी कोन्स्टीटूएन्सी का प्रश्न हो सकता है इसके लिये मैं ज्यादा समझता हूं। इन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया इसलिए यह बोलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो तीन प्रश्न ही पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न यह है कि तारीख 3-3-74 का यह वाकया है.........

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह): 3-3-74 का नहीं 13-3-74 को यह वाकया हुआ !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, उपाध्यक्ष महोदय, यह वाकया 13-3-74 का है उसके बाद में दकाल के सम्पादक मफरूर हो गये। उसके बाद में तारीख 28-3-74 को वह कोर्ट में प्रोड्यूस हुए और इस प्रकार वह 15 दिन तक मफरूर रहे कोर्ट में प्रोड्यूस होने के पहले पुलिस ने उनको एरेस्ट करना चाहा जबकि वह आदमी लगातार बाहर घूम रहा था, वह लोगों से मिलता रहा, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में यहां सदन में स्थगन प्रस्ताव आया वह भी 28 तारीख के पहले आया यहां उसने विधायकों से सम्पर्क किया, पत्रकारों से मिला और कई अफसरों से मिला तो क्या इस प्रकार जो व्यक्ति खुले आम जनता में घूमे उसको मफरूरियत कहते हैं। एक व्यक्ति लोगों से मिले, बातचीत करे, जिसके बारे में स्थगन प्रस्ताव आये, लोगों में चर्चा हो मन्त्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्या इसको ही मफरूरियत कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को कोर्ट में पेश होने के बाद में उसको पकड़ने की पुलिस द्वारा कार्यवाही की है। उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति कोर्ट में अपनी बेल के लिए जा रहा था चूंकि उस पर उस महिला ने जो चार्ज लगाया था वह बेलेबल ऑफेन्स था एफ. आई. आर. में भी उसने ऐसा ही लिखाया है ऐसी स्थिति में वह जाकर कोर्ट में अपनी बेल कराने को

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गया। तथ्य यह है कि कोर्ट में खींचातानी हुई थानेदार के और उसके छीनाझपटी हुई और कोर्ट में इस प्रकार की कार्यवाही के लिए उस थानेदार के खिलाफ में कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है इसकी भी मैं जानकारी चाहूंगा कि क्या उस थानेदार के खिलाफ में कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है क्या ? क्योंकि उस थानेदार ने जब वह पत्रकार कोर्ट में था तब उस पर एसॉल्ट किया। उसने कोर्ट का अपमान किया उपाध्यक्ष महोदय यह पहला ही मामला नहीं है जबकि पुलिस ने ऐसा मामला बनाया उपाध्यक्ष महोदय ऐसा ही पत्रकार एक श्री करणीदान थे जिन्होंने व्यापारियों के यहां अनाज पकड़वाया तथा पुलिस के लिए थानेदार के बारे में वार्ड नम्बर चार में अड्डा है, की खबर छापी तो पुलिस ने उस पर हमला बोल दिया और उसके खिलाफ में ऐसा ही केस रजिस्टर कर लिया। तो उपाध्यक्ष महोदय यह तो चाहे, कोई दकाल का सम्पादक हो, चाहे श्री करणीदान हो पुलिस उनके खिलाफ में कोई महिला को लाकर खड़ी कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय जब पुलिस को किसी पत्रकार की, किसी विधान सभा सदस्य की या किसी जन प्रतिनिधि की ईमेज बिगाड़नी हो तब पुलिस ऐसा मामला खड़ा कर देती है उस व्यक्ति के खिलाफ में। उपाध्यक्ष महोदय, यह बलात्कार का चार्ज किसी भी पत्रकार के खिलाफ में हो, चाहे कोई जन प्रतिनिधि के खिलाफ में अगर चार्ज लगाया जाता है तो यह बिलकुल निकृष्टतम चार्ज होता है। इससे ज्यादा खराब कोई निकृष्ट चार्ज आप किसी पत्रकार पर नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यह पत्रकार लोग जो हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र के अन्दर जनता के माउथ पीस होते हैं, यह प्रजातन्त्र के कोम्पोनेण्ट हैं और यह प्रजातन्त्र के वेपन हैं। और अगर आप उन पर यह चार्ज लगाते हैं तो इससे घटिया कोई चार्ज आप उन पर नहीं लगा सकते। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप अपनी पुलिस से यह हिदायत दे देते कि इस प्रकार घटिया चार्ज आप किसी पत्रकार पर या लोकतन्त्र में काम करने वाले जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ में नही लगायें कम से कम यह व्यवस्था तो कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया !

श्री राजेन्द्र भारतीया (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दकाल का मामला चूंकि मेरे कॉन्स्टीटूएन्सी का मामला है इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को इसके बारे में स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारिता को मैं बहुत ज्यादा इज्जत देता हूँ लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने बून्दी के पत्र दकाल के सम्पादक के बारे में विचार व्यक्त किये। मैं उनकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं बून्दी की जनता इस पत्रकार के बहुत खिलाफ है। तारीख 13-3-74 के इस वाके बाद उसने बून्दी के बाजारों में निकलना बन्द कर दिया उसने इस प्रकार का भद्दा कार्य किया। मुझे खेद इस बात का है कि बून्दी के पत्रकार के लिए बून्दी की जनता को जितना दुःख नहीं उससे ज्यादा दुःख हमारे यहां के माननीय सदस्यों को हो रहा है। इसका

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

कारण एक यह है कि शायद अपने यहां के माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि दकाल का सम्पादक इजाजत लेकर पहले तो उसके घर में घुसा और बाद में उस अबला स्त्री के पीछे उस औरत के स्तन पकड़ लिए और उस अबला का गाल काट खाया। मुझे अफसोस है कि निरन्जन-नाथ जी आचार्य यह कह रहे हैं। जबकि तारीख 29-3-74 को बून्दी की जनता ने आपको वहां इस पत्रकार के बारे में बुलाया था लेकिन आप आये नहीं...... ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या मुझे बून्दी की जनता ने 29 तारीख को आहूत किया था और मैं नहीं आया ?

श्री राजेन्द्र भारतीया: हां आपको बुलाया था पर आप नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह दकाल के सम्पादक जो हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी की मार्कसिस्ट पार्टी के सेक्रेट्री हैं और मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके ऐसे कारनामों के कारण उन्हें कम्यु-निस्ट पार्टी की सेक्रेट्रीशिप से हटा दिया है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह साफ-साफ कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जायेगा तो बून्दी के अन्दर भयंकर आन्दोलन छिड़ेगा। वैसे यहां पर यह कहना कि अदालत में गिरफ्तार किया गलत है उनको यहां पर कुछ लोग प्रोटेक्शन देना चाहते हैं लेकिन इससे अगर उनको प्रोटेक्शन मिलता है तो बून्दी की जनता इसके लिये आन्दोलन करेगी उसने एक अबला की इज्जत पर हाथ मारा है पुलिस ने जो कुछ किया वह ठीक किया है। लेकिन इस पर भी अगर कोई कार्यवाही दकाल के सम्पादक के खिलाफ में नहीं हुई और उसे प्रोटेक्शन मिलने के लिए अगर आप इतना स्ट्रेस दे रहे हैं तो बून्दी के अन्दर एक बहुत बड़ा जन आन्दोलन होगा वह आन्दोलन ऐसा हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी हिन्दुस्तान में दूसरी जगह हुआ। बून्दी दूसरा गुजरात बन जायेगा या बून्दी फिर बिहार बन जायेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि माननीय सदस्यों की जान-कारी में यह सभी फैक्ट्स नहीं हों इसलिये यह सही सूचना उनको देना चाहता हूं। उनकी पूरी तरह से नॉलेज में न आया हो। मैं इस अवस्था में यहां पर आकर अपना स्पष्टीकरण देना जरूरी समझता था। स्पष्ट फैक्ट्स हैं एक गरीब अबला स्त्री के साथ ऐसी बात हो, आदमी को डराया धमकाया जाय उनके साथियों के द्वारा कि तुमको इस प्रकार कर दिया जावेगा। हर समझदार आदमी ने कोशिश की कि इस प्रकार की बात को छिपाया जाय। अधिकार में बात आयी गुण्डों को लकड़ी लगी, कॉलोबोरेशन किया कि उसके आदमी ने डंडा मारा। पब्लिक मीटिंग में उसने साफ कहा है। इस बात को लेकर बूंदी में उग्र आन्दोलन हो सकता है कि यदि इस आदमी को सजा नहीं दी गई।

ओपोजिशन के माननीय सदस्यों को चुनौती देना चाहता हूं कोई विरोधी पार्टी उस शख्स के हाथ में हो तो हम विड्रो कर सकते हैं। श्री रामानन्द सोसलिस्ट पार्टी के हैं सम्मानित व्यक्ति हैं और जाने माने व्यक्ति हैं श्री मदन सोमानी भी जाने माने

(श्री राजेन्द्र भारतीय)
व्यक्ति हैं और रविदत्त जी भी जाने माने व्यक्ति हैं सब लोगों के पत्र आये होंगे और इससे आपको एविडेन्स हो गयी होगी । मैं पत्रकारिता को सम्मान देता हूं । सदन की गरिमा को भी सम्मान देता हूं । लेकिन सदन की गरिमा को इस प्रकार से मिसयूज नहीं करना चाहिये । गलत इन्फोर्मेशन दी गयी है तो उस आदमी को सजा देनी चाहिये । सदन की गरिमा को तब ही सही सम्मान मिलेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय मैं ऐसा चाहता था कि इस विषय को अधिक विस्तृत नहीं किया जाय क्योंकि चीजें दूसरी प्रकार से शक्ल में आ रही हैं । मैं यह गवर्नमेंट की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को मेलाइन करने की भावना नहीं है । पत्रकार अथवा किसी व्यक्ति विशेष को और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस किसी क्षण मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास हो जायगा कि श्री लाडला के साथ ज्यादतियां की जा रही है और वे निर्दोष हैं वे अधिकारी सजा पाये बगैर नहीं रह सकेंगे ।

परन्तु जब से यह सूचना मुझे सदन में मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है । कुछ माननीय सदस्यों को मैंने बतला भी दिया है कि क्या कारण हैं । मेरे व्यक्तिगत मित्रों और पत्रकारों ने इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी दी है । शुरू में जैसा आमतौर पर होता है शुरू में मेरे मन में भी हुआ कि श्री लाडला के साथ ज्यादती हुई है । मुझे यह कहा गया कि लाड़ला की जान खतरे में है । मैंने एस. पी. और कलेक्टर को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यदि लाडला के साथ कोई वारदात हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी एस. पी. और कलेक्टर की होगी । इस मेसेज को भिजवाने के बाद वहां से रिपोर्ट मांगी गयी जैसा रुटीन तौर पर हुआ करता है । पुलिस से जो रिपोर्ट आयी यहां पर कहा गया कि उससे दूसरी प्रकार की थी । मेरे मन में भी हुआ, जैसा माननीय सदस्यों के मन में होता रहा है । हो न हो कि पुलिस ने उनकी शिकायत को विरोधी दल और एक पोलिटिकल वर्कर होने के नाते शिकायत को पब्लिक में लायी होगी और उनको फंसाने की कोशिश करे । यह होना स्वाभाविक है । इस पर मैंने कलेक्टर से कहा कि वे इन सारी चीजों को समझ कर कहें । मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कलेक्टर अभी बूंदी में हैं, हालांकि मैं अधिकारियों पर बहुत निर्भर करके चलने वालों में से नहीं हूं मैं उनको गत 25 वर्षों से जानता हूं, मैंने उनको कहा कि कलेक्टर जैसे व्यक्ति की जानकारी में जो भी फैक्ट्स हैं निश्चित तौर पर जानकारी में हों तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ही बता दें । अभी जो माननीय राज्य मन्त्री जी ने यहां सदन में स्टेटमेंट पढ़ा और जो फैक्ट्स उनमें दिये हैं उन्होंने उनकी पुष्टि की है । फिर भी उसको सत्य नहीं माना और डी. आई. जी. सी. आई. डी. को मैंने जांच करने के लिये कि हो सकता है कि नन्दसिंह द्वारा इस प्रकार का कोई ट्रेप हो सकता है उसको फंसाने के लिये और हो सकता हैं उस कारण एक महिला को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की गयी हो । हो सकता है इस प्रकार से

(श्री हरिदेव जोशी)
करने की कोशिश करें और इसी कारण से मैंने डी. आई. जी. पी. सी. आई. डी. को भेजा और वे वहाँ मौके पर गये। उन्होंने न केवल सम्बन्धित व्यक्तियों से बल्कि अपोजिशन पार्टीज से भी कन्सल्ट करने की कोशिश की। मैं अपोजिशन पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहता। सब लोगों ने इस वर्सन की संपुष्टि की। कांग्रेस के सदस्य, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर बोलें लेकिन वे बोल गये। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग और जो माननीय सदस्य वहाँ से आये हैं उनसे भी मैंने जानकारी करने की कोशिश की। मुझे यह निवेदन करना है कि श्री लाडला पर यह पहला मुकदमा नहीं है। नन्दसिंह के बूंदी में आने के समय के ही मुकदमे नहीं हैं। और भी पहले के मुकदमे हैं। और बातों को ही छोड़ दीजिए उनकी स्वयम् की पार्टी ने इसको पद से मुक्त कर दिया है इसी कारण से। यह ऐसी चीज है जिसको गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिये, ये ऐसी चीजें हैं जो दूर दराज से बातें कही जाती हैं, पुलिस ने ज्यादती की हो, कांसप्रेसी की हो। परन्तु गवर्नमैंट के समक्ष जो फैक्ट्स हैं उनको मैं सदन से नहीं छिपाना चाहता था। मेरे पास आज यही एल्टरनेटिव रह गया है कि इस चीज को रखने के अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसका टाइम बढ़ा दिया जाय। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया हमारे वर्शन पर वे विश्वास करें और इसको यहीं पर छोड़ दें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री लाडला के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हर समय मेरे पास आने की और व्यक्तिगत जानकारी देने की मैं एक प्रकार से व्यवस्था करूंगा कि वे मेरे पास आकर दिक्कतों को बतला सकें। दूसरी स्थिति और वर्शन यह भी है कि अगर कोई इस प्रकार की चीज हुई तो गवर्नमैंट उसको शील्ड नहीं करना चाहेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर एक व्यक्ति के बारे में डिस्कशन न हो। जितना डिस्कशन हो गया वह हो गया और यहीं इसको खत्म कर दिया जावेगा।

श्री केदारनाथ । माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी के स्टेटमैंट के पश्चात् अब कोई इसमें गुन्जाइश नहीं रह जाती है कि इस पर डिस्कशन हो।

श्री हरिदेव जोशी : Let us not become party to this.

श्री केदारनाथ : सी. पी. एम. के माननीय पूनिया जी ने कहा कि ये मेरी पार्टी के सदस्य हैं।

श्री हरिदेव जोशी : सारे जो फैक्ट्स हैं वे सब मैंने सदन के सामने रख दिए हैं।

श्री केदारनाथ : दस वर्ष से वे उसी मकान में रह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है। भारतीया जी से निवेदन करूंगा कि वे एकदम मौन रहें इस पर तो अच्छा है। लेट अस नोट बी ए पार्टी टू इट। क्यों पार्टी बने कि अमुक चीज ही

(श्री हरिदेव जोशी)
सत्य है। मेरे पास जो फैक्ट्स आये हैं वे सत्य हो सकते हैं। लाडला के खिलाफ बड़ी कान्सप्रेसी भी हो सकती है। इसलिए आप हमें मौका दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : That is right.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We are not interested in shielding him.

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और जो बूंदी से आये हैं उन्होंने जो हिम्मत करके कहा है इसके लिए उनका आभारी होना चाहिये, जहां तक लाडला जी की बात है, दो राय नहीं है। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अब हुआ है तो सरकार एक्शन ले। पर यह कह कर किसी महिला को साथ में जोड़ दिया जाता है·······

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न यहां नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : तो इसकी भी जांच करवाई जानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : किस बात की जांच की बात आप कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री रामकिशन !

विधायी कार्य
राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि:—

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 को प्रख्यापित राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने तेंदू पत्ते के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया और वह भी एक अध्यादेश द्वारा। राष्ट्रीयकरण के उन्होंने कुछ कारण बताये हैं। एक यह कि इसमें चोरी होती थी और कई एजेन्सियां होने के कारण सरकार के राजस्व में गिरावट आती थी। कभी बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। दूसरा, इसको उगाने वाले मजदूरों को मजदूरी कम मिलती थी, दूसरे लोग उनका शोषण करते थे। फिर तेंदू पत्ते की सम्पदा की रक्षा भी करना सरकार का उद्देश्य रहा। तो इन तीन चार कारणों से इसका राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करूंगा उद्देश्य सरकार का अच्छा है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीयकरण हर रोग का इलाज है ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। असल में बात यह है कि सरकार जिस काम को अपने हाथ में लेती है उसका उद्देश्य अच्छा घोषित करती है पर इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो व्यवस्था बनानी चाहिये वह बना नहीं पाती। नतीजा यह होता है कि उद्देश्य प्राप्त नहीं होता और सरकार बदनाम हो जाती है। व्यवस्था भी खराब नहीं कह सकते, पर संचालक गलत होने से बदनाम होती है।

फिर मैं कहूंगा कि यह कोई बहुत बड़ा कदम भी नहीं है। 20-30 लाख के

(श्री रामकिशन)

ट्रांजेक्शन का सवाल है। यह व्यवस्था लेली है तो 34-35 लाख का सरकार को फायदा हो जावेगा। इन राज्य के सामने 35 लाख की रकम नगण्य है। इसकी कोई अधिक कीमत नहीं है।

असल सवाल यह है कि बीड़ी का जो मजदूर है और उसका आज तक जिस तरह शोषण होता आया है वह किस प्रकार बन्द करेगी। दूसरा सवाल यह है कि तेंदू के प्राईवेट उत्पादक जो हैं उनका मूल्य वह कैसे निर्धारित करेगी। सरकार जब व्यापार हाथ में लेती है तो मुनाफा पर ज्यादा जोर नहीं देती क्योंकि राज का मुनाफा जोड़ने की आदत या उद्देश्य नहीं होता : सरकार जनता की हालत सुधारने का उद्देश्य लेकर चलती है। सरकार चाहे तीस लाख का 60 लाख कर ले इसका महत्त्व नहीं है। सवाल तो महत्त्व का यह है कि जो लोग इसके व्यापार में लगे हुए हैं उनकी हालत कैसे सुधरे। इस बारे में सरकार मौन है। कहीं यह नहीं कहा गया है इस कानून में कि कीमतें कैसे तय की जावेंगी। अब इस व्यापार में जो कमेटी बनेगी उसकी उनकी राय सरकार मानेगी। लेकिन साथ-साथ यह भी माना है कि अगर किसी प्रकार इस कमेटी ने राय नहीं दी तो राज्य सरकार अपने हिसाब से भी कीमतें निश्चित कर देगी।

अब जो कमेटी सरकार बनाने जावेगी जिसका प्रावधान इसमें है उसमें प्रोड्यूसर और मैन्यूफेक्चरर का प्रतिनिधि भी लिया है पर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बीड़ी मजदूर का प्रतिनिधि इसमें नहीं लिया गया है। अब मैन्यूफेक्चरर और बीड़ी मजदूर एक नहीं है। तो बीड़ी मजदूर के हितों की रक्षा कैसे की जावेगी इसकी स्पष्ट व्यवस्था इसमें नहीं है। यह की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त सरकार का यह कहना कि हम इस तरह से चोरी रोक सकेंगे और राजस्व की भी बढ़ौतरी कर लेंगे पर राज्य सरकार के आज तक के कारनामे यही कहते हैं कि जिस काम को इसने हाथ में लिया उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं। उद्देश्य जरूर अच्छा रहता है पर मौजूदा सरकार के माध्यम से यह हो सकेगा, इसमें पूरी शंका है। क्योंकि इस सरकार की इसके उद्देश्य के पीछे कोई आस्था नहीं है। केवल राष्ट्रीय-करण की फेशन इसके पीछे है। उसकी विडम्बना है, तमन्ना है। इसके अलावा सरकार का कोई सोचना विचारना नहीं है। जो अब तक काम इस तरह के इस सरकार ने हाथ में लिये और उनकी जो दुर्गति हुई वही इसकी भी होगी इसमें शक शुबाह नहीं।

इस समय इसका सन्दर्भ तो कोई नहीं है। पर कहना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले लकड़ी कोयले का व्यापार इस सरकार ने अपने हाथ में लिया था। कहा गया था कि इससे मजदूरों की स्थिति सुधरेगी और उपभोक्ता को सस्ता कोयला मिलेगा।

आप अलवर क्षेत्र से आते हैं। जानते हैं कि वहां कितना बड़ा काम लकड़ी का होता है। मैं पूछता हूं सरकार ने जबसे यह व्यापार वहां अपने हाथ में लिया उससे पहले कोयला लकड़ी का क्या भाव था और बाद के क्या हैं? आज की कीमत की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज तो सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार के पास एक

(श्री रामकिशन)

रास्ता है अव्यवस्था होने से व्यवस्था बिठा नहीं पाने से जब वह व्यापार घाटे में जाता है तब उस घाटे की पूर्ति करने के लिये अनाप शनाप कीमतें बढ़ा देती है। अपनी व्यवस्था को इकोनामिकल तरीके से चलाने की कभी नहीं सोचती। नौकरशाही तरीके से काम चलाती है। और इस तरह से घाटा पूरा कर लेती है। मतलब सीधा सा यह है कि उपभोक्ता को इससे नुकसान हो जाता है। सारा बोझा उस पर पड़ जाता है।

इसी तरह अब इस व्यापार में बीड़ी का मजदूर है, बीड़ी का उपभोक्ता है प्राईवेट एजेन्सियां भी हैं। अब इन तीन चार पक्षों का किस प्रकार समीकरण होगा ? किस प्रकार इन सभी के हितों की रक्षा हो सकेगी यह नहीं मालूम पड़ता इस कानून से ?

इसके साथ सरकार एक काम हाथ में लेने जा रही है उसके लिये फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट दिया। इसके लिये अलग से कमेटी और व्यवस्था होगी। इससे खर्चा कितना बढ़ गया इसका अनुमान उसने नहीं लगाया है।

अब वन विभाग की जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार जंगल घटते जा रहे हैं। जब जंगल घटते जा रहे हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर जो स्टाफ उधर से बचेगा उसको इस नये काम में क्यों नहीं लगाती है, नये आदमी क्यों लेती है। इसके लिये अलग से जीपों की व्यवस्था की है उसकी खरीद करेगी, टाइप राइटर अलग से खरीदेगी, दफ्तर अलग लेगी, तो यह सब करेगी। उनके पास पुरानी जीपें हैं विभाग के टाइप राइटर हैं पुराने कर्मचारी हैं वे बराबर चल सकते हैं। हमारे राज में वन सम्पत्ति नहीं बढ रही है, क्षेत्रफल गिर रहा है स्टाफ गिर नहीं रहा है तो क्यों जरूरी हो जाता है कि इस एक छोटे से काम के लिये नये स्टाफ की व्यवस्था करें। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। जब आप इसे करें तो इस बात को ध्यान में रक्खें।

सदन में भी कई ऐसे पक्ष हैं जो राजकीय व्यापार का विरोध करते हैं। आप असफल हो जाते हैं अपने व्यापार में तो इससे साख आप की और गिरती है, समाजवाद या राष्ट्रीयकरण बदनाम होते हैं।

अनाज का व्यापार आपने लिया, लिया तो सारा व्यापार हाथ में लेना था। आपने केवल गेहूं लिया। अब जब आपने गेहूं का व्यापार छोड़ दिया ढीला थोक व्यापार की नीति से पीछे हट गये तो जनसंघ कहीं कहता है कि आप जनसंघ के रास्ते पर आ गये। यह अजीब बात है। कभी कम्युनिस्ट आपको कहते हैं कि आप उनके रास्ते पर आ गये हैं। आप कभी रूस के दोस्त हो जाते हैं तो कभी अमेरिका के दोस्त। कभी समर्थन आपको मिल जाता है जनसंघ का तो कभी समर्थन मिल जाता है कम्युनिस्टों का। आपका अपना कुछ नहीं है। कभी ऐसा प्रश्न आता है जिस पर कम्युनिस्ट और जनसंघ आपस में लड़ते हैं तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कहते हैं ये दोनों बढ़िया लड़ने वाले हैं। लेकिन असल में यह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक मजाक है। आप यह न समझिये कि आपकी नीतियों के खण्डन या समर्थन में

(श्री रामकिशन)

लड़ रहे हैं, पर आपकी मूर्खता पर लड़ रहे हैं। जिनकी कोई नीतियां नहीं हों और नीतियां इसलिये नहीं हों कि सरकार का पिछला बैक ग्राउन्ड नहीं है, सरकार के कोई दिमागी दर्शन नहीं हैं। अगर सरकार का दिमागी दर्शन होता तो जो काम प्राईवेट डीलर करता है और अच्छा मुनाफा कमाता है उसमें सरकार को घाटा होना ही नहीं चाहिए। उस काम में लगने वाले को ज्यादा आमदनी होती है।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय चाहे गेहूं का व्यापार हो, चाहे लकड़ी-कोयले का व्यापार हो, चाहे इस्पात का व्यापार हो सरकार जिन कामों को हाथ में लेती है उन कामों से न तो उपभोक्ता को लाभ मिलता है और न राज्य सरकार की वृद्धि कर पाते हैं और उस धन्धे वाले की रोजी रोटी भी छीन लेते हैं तो मैं समझता हूं इन तीन चीजों के अलावा मैं माननीय राज्य मंत्रीजी, शायद आप सुनने के लिये बैठे हैं, निवेदन करूंगा यह काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है—राजस्व में 35 लाख, 50 लाख का सवाल की वृद्धि का सवाल नहीं है लेकिन जो बीड़ी मजदूर हैं उनका शोषण होता है वह नहीं रुकेगा। इसके बाद एक योजना लाने के बाद आपके विभाग के पास पहले ही इतना स्टाफ है, बहुत बैठा है, न जीप खरीदने की जरूरत है, न कोई टाइप राईटर खरीदने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब सरकार व्यापार हाथ में लेती है तो आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसा मानकर न चलिये कि वे सब कामों में निपुण हैं, प्रशासनिक ज्ञान रखते हों, व्यापारिक ज्ञान रखते हों। आपके आर. ए. एस. अधिकारी आपके आई. ए. एस. अधिकारी आपके और अधिकारी व्यापारिक दिमाग को नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है तो उनके दिमाग की बनावट उसी प्रकार की हो। जब बोलें तो व्यापारिक क्षमता होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा सरकार जो अध्यादेश लाई है, मैं खासतौर से अध्यादेश का विरोध इसलिए कर रहा हूं राज्य सरकार की आदत पड़ गई है, असेम्बली का सैशन नहीं बुलाते हैं, जिससे राज्य सरकार की खामियां उभरती हैं उससे डर कर सैशन बुलाती नहीं। पिछली विधान सभा से लेकर अब तक 8-9 अध्यादेश निकल गये हैं। अगर कोई ऐसी आवश्यकतायें थीं तो जो रीजन्स दिये हैं कि ऐसे क्या कारण पैदा हो गये हैं कि सरकार को अध्यादेश लाने पर विचार करना पड़ा। विधान सभा में इसको लाते, माननीय सदस्यों के विचार और सुझावों के अनुरूप उसको रखते। यहां उस पर विचार हो जाता एक-एक धारा पर विचार कर लिया जाता लेकिन आप अध्यादेश ले आये इसलिये कि इसे पारित करना है। यह मजबूरी जब आप खड़ी कर देते हैं तो लोकतन्त्र की भावना का हनन करते हैं। आप विचार सुनना नहीं चाहते। राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि हमें जो ज्ञान है वह सम्पूर्ण ज्ञान है इसलिये किसी माननीय सदस्य.........

श्री निरंजननाथ आचार्य : I think House lacks corum.

(गणपूर्ति सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू कीजिये।

श्री रामकिशन : तो माननीय उपाध्यक्ष जी.... ...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी ऑर्डिनेन्स के जो क्लॉजेज हैं और बिल के जो क्लॉजेज हैं इनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है जो ऑर्डिनेन्स के क्लॉजेज हैं वह बिल में ओमीशन रह गई है। प्रिन्टिंग मिस्टेक है........

श्री रामकिशन : रीजन्स भी.......

श्री परसराम मदेरणा : रीजन्स भी नहीं दिये हैं........क्लॉज 9 और क्लॉज 19 में इसलिये इस बिल को पारित करवाने में मेरे सामने डिफिकल्टी है इसलिये इस बिल को किसी अन्य दिवस पर, इसको डेफर कर दिया जाय........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर आज क्या है।

श्री परसराम मदेरणा : यह उपाध्यक्ष के सोचने की बात है और क्योंकि बिज़निस कोलैप्स हो जायगा........

श्री केदारनाथ : दूसरा कोई बिजनिस नहीं है सिवाय यही मेन फंक्शन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा ख्याल मुख्य सचेतक महोदय कुछ कहेंगे।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : बिजनिस नहीं है तो अपने आपको छुट्टी मिल जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्लास समझ लिया जो छुट्टी मिल जायगी, यह दायित्व का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय यह सदन 10 तारीख तक जैसा मालूम हुआ है चलेगा और उसमें आपके बिजनिसेज हैं। यह छुट्टी का प्रश्न नहीं आता है जैसा माननीय मुख्य सचेतक महोदय कहते हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय अपने दायित्व को समझें। यदि ऐसी स्थिति है माननीय मंत्री महोदय आधा घण्टा ले लें और कोई रेमेडी हो सकती है तो निकालें बीच में विक्षोभ करना उचित नहीं मालूम पड़ता है।

श्री खेतसिंह : आप चाहें तो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लें और जो कल लेना है उसे आज ले लें।

श्री रामकिशन : ले भी नहीं सकते हैं। ये आपने खेतसिंह जी दूकान समझ रखी है क्या ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर दूं इसमें कोई ओमीशन रह गई है। कोई अमेन्डमेंट लायेंगे ये डेफर करना चाहते हैं। आज के बिजनिस में यही बिल था और आपकी मंशा है नहीं दूसरा बिल लेने को। मावली से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है दूसरा बिल ले नहीं सकते, आज कोई बिजनिस नहीं, सदन को एडजोर्न भी नहीं कराना चाहते तो फिर दूसरी रेमेडी क्या है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह कोई दूकान समझ रखी हैं क्या। मैं तो इसको सदन हमेशा मानता हूं और सदन की प्रतिष्ठा रखता हूं.... –

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो हमेशा मानते हैं यह तो हम ही जो पीछे रह जाते हैं। मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय आधा घण्टा ले ले लजिये, पौन घण्टा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
ले लीजिये और जो कोई रेमेडी हो, इससे इसको दूर करें। ऐसा एरर नहीं होगा जिसमें सारा दिन लगे उसके दरमियान माननीय मुख्य सचेतक महोदय उर्फ शिक्षा मंत्री जी ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो तो वह हो जाय। आप सशक्त मंत्री हैं। आप चाहेंगे तो एक घण्टे के काम को आध घण्टे में भी कर सकते हैं, आपके एक घण्टे के काम आधा घंटे में होते हैं और आधे घन्टे में जो काम होता है। वह दो घंटे में भी होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कुछ कह दूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजये।

This precedence to the Minister.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे कोई लाभ तो है नहीं।

श्री केदारनाथ : डेफर करने का मूव हो गया क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डेफर करने का मूव कर दिया माननीय मन्त्री जी ने।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। आप (श्री गिरधारीलाल भार्गव) विराजिये।

श्री केदारनाथ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह लॉ डिपार्टमेन्ट की कमी थी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की थी ? यह दोष किसको असाइन करेंगे हाउस का और हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है। किसको असाइन करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह ओमिशन्स किस स्टेज पर हुए इसकी तो मैं रेस्पॉन्सीबिलिटी फिक्स करूंगा लेकिन ओमिशन्स हैं और जो भी कोई ओमिशन्स हैं वह मैंने ही पॉइन्ट आउट स्वयं ने किये हैं और किसी अधिकारी ने नहीं बताये हैं। जैसाकि मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह आधा या पौना घन्टा में हो जायेगा तो यदि ऐसा होता तो मैं डेफर करने की बात ही नहीं करता क्योंकि मैं इस सदन में दर्जनों बिल पास करा चुका हूं और मैं उनको पाइलेट भी कर चुका हूं। क्योंकि इसमें समय लगेगा और जब समय लगेगा तो मुझे अमेन्डमेन्ट्स लाने पड़ेंगे। इसलिए मैं डेफर करा रहा हूं और इसी सत्र में इसको ले लिया जायेगा और आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने कोई कार्य नहीं है इसलिए मैं सदन की कार्यवाही कल 3 अप्रेल, 1974.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि आखिरकार यह क्या बात हुई। माननीय उपाध्यक्ष जी बड़ी गम्भीर बात है। जो बिजनेस रखा गया है उसके लिए इस प्रकार से कह दें कि डेफर कर दिया है और इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या होगी ? आधा घन्टे में विचार कर लीजिए। पहले भी अमेन्डमेन्ट्स बिलों में आते आये हैं। आधे घन्टे में अमेन्डमेन्ट आ जायें और फिर उस पर दिन भर बैठ कर विचार करलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे बढ़ कर और लज्जास्पद बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। फिर तो सरकार चाहती थी कि बजट पास हो जाये और चाहे फिर बिल पास हों या नहीं हों। बड़ी दुखद बात है, अपमानजनक बात है। इस प्रकार से सदन का समय खराब करना और जन धन का दुरुपयोग करना क्या हमारे लिए हितकर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डेफर हो जाये क्या आपको इसमें आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपत्ति तो है ही। आज क्यों नहीं कार्यवाही को लेते। आज ही कर लें जो भी अमेन्डमेन्ट करना हो।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज। क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित का जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं।

श्री रामकिशन : नहीं का मतलब हम सरकार की अयोग्यता को रजिस्टर कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं कि कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाये वह अपना हाथ उठा दें।

श्री रामकिशन : यह तो पहली बात हो रही है। हाथ उठाने की बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हों वह भी हाथ ऊंचा कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहला प्रश्न यह है कि आप ध्वनी मत ले लीजिए और उससे गिर जाता है तो वोट की परम्परा आज तक नहीं रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। मैं पुनः इसको मतदान के लिए रखता हूं। जो इसके पक्ष में हों कि सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 अप्रेल, 1974 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए वह हां कहें। जो विपक्ष में हों वह ना कहें।

(ध्वनी मतदान के पश्चात्)

(विधेयक पर विचार स्थगित किया गया)

श्री केदारनाथ : I Press for division. इस बिल को डेफर करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं रही इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाति है। यह मेन्शन कीजिए। क्योंकि इस बिल को डेफर करने के बाद और कोई बिजनस नहीं रहा इसलिए सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाये इसमें मेन्शन होना चाहिये।

(1.15 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आज की कार्यवाही स्थगित करने के लिए प्रस्ताव किया है, जो उसके पक्ष में हों वह कृपया खड़े हो जायें।

(सरकारी पक्ष के सभी सदस्य खड़े हुए)

जो इस विधेयक के विपक्ष में हों वह खड़े हो जाएं।

(केवल माननीय सदस्य, श्री गिरधारी लाल भार्गव खड़े हुए)

श्री खेतसिंह : केवल एक ही ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बिलकुल अयोग्य हैं । आपने जनधन का दुरुपयोग किया है····

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 1 बज कर 17 मिनट पर बुधवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूची)

आरोप पत्र विरुद्ध श्री विजयसिंह
सरपंच, ग्राम पंचायत, गोहाना;
पंचायत समिति, जवाजा,
जिला अजमेर

आरोप नम्बर 1

श्री विजयसिंह जब से सरपंच बने तब से पंचायत की लगातार एक भी बैठक नहीं बुलाई। इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया।

आरोप नम्बर 2

सन 1965 से अब तक की जो भी राशि मिली उसका कोई भी हिसाब नहीं रखा गया तथा न ही कोई भी रिकार्ड ही तैयार किया। इस प्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया।

आरोप नम्बर 3

ग्राम पंचायत को आवंटित 15 बीघा भूमि पर नया कुआ खोदने हेतु 2000) रु. पंचायत समिति से लिये उसका आपने न कुआ खोदा न ही कोई हिसाब ही रखा और न वापिस पंचायत समिति में ही अब तक राशि को जमा करवाया।

आरोप नम्बर 4

पाइलट प्रोजेक्ट मद में श्री हजारी पुत्र रूपा रायला खेड़ा व पैमा पुत्र रूपा निवासी गोहना को एक-एक हजार रुपये स्वीकृत हुए। उसमें से इन्होंने उसे सिर्फ 600) रु. प्रत्येक को ही दिये। अन्य राशि को अपने पास रखी अगर काश्तकार ने काम नहीं करवाया था तो वह राशि वापिस जमा करवानी चाहिए थी।

आरोप नम्बर 5

रामखेड़ा घनार रपट का कार्य पूर्ण नहीं किया व न ही इसके मजदूरों को भुगतान किया और इस प्रकार राशि को अपने पास रख कर घरेलू कार्य में लेकर दुरुपयोग किया।

आरोप नम्बर 6

पूर्व सूचना होने पर भी आज तक किसी भी पंचायत प्रसार अधिकारी को ऑडिट विभाग को पंचायत का निरीक्षण नहीं करवाया।

आरोप नम्बर 7

जिलाधीश कार्यालय से दिनांक 21-11-72, 18-1-73 तथा 2-2-73 को सम्बन्धित रिकार्ड लेकर उपस्थित होने हेतु आपको पत्र भेजे गये। इन पत्रों को प्राप्त करने के बाद भी आप उपस्थित नहीं हुवे व न ही उपस्थित होने का कारण बताते हुये कोई प्रार्थना-पत्र ही भेजा। इस प्रकार समय-समय पर प्रसारित किए गये आदेशों की पालना न कर अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 629 की सूची)

रियायतों सम्बन्धी विवरण

यदि कोई काश्तकार साधारण मिट्टी (आर्डिनरी क्ले) जिसमें ईंटें बनाने की मिट्टी भी सम्मिलित है, बजरी, सेन्ड कंकर, इमारती पत्थर (अलावा पट्टी, कातला, स्लेट) यदि किसी खनन पट्टेधारी के पट्टा क्षेत्र में से (जो उसके सक्रिय गड्ढे (वर्किंग पिट्स) न हों) अपने उपयोग के लिए लेना चाहें तो उसके भाटक (रेन्ट), रॉयल्टी व अनुमति शुल्क नहीं लगता।

चूने का पत्थर (लाइम स्टोन) व कंकर उन क्षेत्रों से जहां खनन पट्टाधारियों के कब्जे में नहीं हैं वे परिमट पांच रुपये फीस पर दो महीने के लिये लेकर खोद सकते हैं।

ये खनिज व सिंचाई के तालाब, नाला व नाडी, कुए, खेतों की कम्पाउण्ड दीवार, ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी मकान व कम्पाउण्ड दीवार के लिये उपयोग में लिये जा सकते हैं।

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम	खनिज	क्षेत्रफल	निकट ग्राम
1.	श्री नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी	लाइमस्टोन मार्बल	4 वर्ग मील	मोहनपुरा जोधपुरा
2.	राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल	मार्बल	600'-250' प्लॉट नं. 3	मसवानी
3.	राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल	,,	,, प्लॉट नं. 2	,,
4.	राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल	,,	,, प्लॉट नं. 5	,,
5.	श्री निर्मलकुमार पाटनी	,,	,, प्लॉट नं. 4	,,
6.	श्री गणेशकुमार अग्रवाल	,,	4 वर्ग मील	चांदोली दूदावास
7.	छाजूराम गूंजर	ईंट मिट्टी	200 बाई 100	परवावाली
8.	प्रह्लादचन्द सोनी	,,	150 बाई 300	बढ़ावास
9.	हरिशरण गुप्ता	,,	152-40 बाई 152-40 बाई	मौजा
10.	हनुमानप्रसाद	चेजा पत्थर	761-99 बाई 304-998	नारेड़ा
11.	बी. एस. जाखड़	,,	609-50 बाई 500-20	मौजावास

Page No.63

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम	खनिज	क्षेत्र	निकट ग्राम
1.	मोली लेवी कूओलिन प्रा. लि.,	चायनाक्ले	1188-646 है.	बुचारा
2.	ओरियन्टल टाक प्रोडक्ट्स	,,	150-45 हे.	बुचारा
3.	मोदी मि. ग्रा. मिल्स लि.	,,	33-0928 हे.	टाटोरी
4.	ए. एस. माथुर	,,	80-5212 हे.	नई ढाणी
5.	मोदी मिन. ग्राम मिल्स लि.	सफेद मिट्टी	48-562 हे.	नीमली
6.	,, ,, ,, ,,	चायना क्ले	179-8576 हे.	भामरू
7.	ए. एस. माथुर	सफेद मिट्टी	49-7272 हे.	ढाणी रूपदास
8.	मोदी मिनरल ग्रा. मिल्स लि.	चायना क्ले	37-763 हे.	टाटोरी
9.	ए. एस. माथुर	सफेद मिट्टी	161-15 हे.	सीलांन
10.	,, ,,	,,	51-8 हे.	टसकोला
11.	नाथूलाल चौधरी	ग्रेफाईट	32-37 हे.	बुचारा
12.	ए. एस. माथुर	सफेद मिट्टी	64-74 हे.	टोरड़ा

परिशिष्ट 3
(तारांकित प्रश्न संख्या 631 की सूची)
तहसील बाडमेर

क. सं.	नाम आसामी मय वल्दीयत सकूनत, के व कैम्प	तारीख फैसला	काश्त की गाँव का नाम	ख. नं.	रकबा	फसल निलाम कर राशि वसूल की गई	जरिये रसीद नं. बुक नम्बर के
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जेठमालसिंह पुत्र उत्तमसिंह, राजपूत, शरणार्थी शिविर तुड़वी	20-10-73	सलारियावलारिया	3	10)	60/-	3/030513
2.	रामसिंह पुत्र बगतसिंह, राजपूत ,,	,,	,,	3, 4	42)	252/-	1/030513
3.	लिछमनसिंह पुत्र धनसिंह, सुखसिंह पुत्र खंगारसिंह, चतरसिंह पुत्र तगसिंह, राजपूत, महादान पुत्र रामचन्द्र सुथार ,,	,,	,,	2	30)	180/-	2/030513
4.	सबलसिंह पुत्र आर्बसिंह, राज., कैम्प निम्बला	,,	,,	3	10)	70/-	4/030513
5.	रामसिंह पुत्र तारासिंह पि. रणछोड़सिंह, राज., तुड़वी कैम्प	,,	,,	10	35)	210/-	5/030513
6.	जेठमालसिंह पुत्र इज्जतसिंह, राज., कैम्प निम्बला	,,	शेरे का तला	78	331)1	198/-	1/030512
7.	भीमसिंह पुत्र भोजराजसिंह, राजपूत, कैम्प तुड़वी	19-10-73	,,	47	20)	80/-	47/030533
8.	प्रेमसिंह पुत्र मलसिंह, राज., कैम्प गडरा रोड	29-10-73	जालिला	23/1	20)	200/-	2/030533
9.	आलूसिंह पुत्र सरूपसिंह, राज., कैम्प गडरा रोड	,,	,,	25,26	25)	260/-	1/030533

उपरोक्त शरणार्थियों द्वारा सरकारी भूमि पर काश्त की गई थी जिनकी फसलें मौके पर निलाम कर रकम वसूल की जा चुकी है इसके अलावा इस वर्ष किसी भी शरणार्थी ने सरकारी भूमि पर काश्त की है, की रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

नोट:—तहसीलदार, बाड़मेर; नायब तहसीलदार II के सर्किल से सूचना शून्य प्राप्त हुई है।

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 636 की सूची)

सन्		सेन्ड स्टोन	खण्डा	बजरी
		(बन्ध बारेठा, बयाना)		
71-72		1,63,231/-	31,191/-	2,275/-
72-73		1,70,731/-	31,466/-	2,340/-
73-74		1,95,351/-	25,946/-	1,835/-
	योग....	5,29,313/-	88,603/-	6,450/-
		(बंशी पहाड़पुर रूपवास)		
71-72		1,40,319.97	17,826/-	—
72-73		1,38,009.97	12,596/-	—
73-74		1,52,354.97	19,096/-	—
	योग	4,20,684.91	48,518/-	—

परिशिष्ट—5

(तारांकित प्रश्न संख्या 643 की सूची)

निम्न जिलों में डीजल व क्रूड आयल की तस्करी, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि के मामले पकड़े गये

क्र. सं.	नाम जिला	नम्बर
1.	अजमेर	3
2.	बूंदी	1
3.	श्री गंगानगर	1
4.	सवाई माधोपुर	7
5.	नागौर	1
6.	सीकर	2
7.	जालौर	3
8.	सिरोही	1
9.	पाली	6
10.	जयपुर	5
11.	जोधपुर	2
		32

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न संख्या 396 की सूची)

क्र. स.	नाम	ख. न.	रकबा	किस्म
1.	मु. गठूडी बेवा हजारी रावणा राजपूत सा. बांसनी हाल दुजाना	27/ए.	90)	जे. 2
2.	अम्बादान पुत्र भैरूदान चारण सा. गन्डा खुद त. परबतसर	27/बी.	115)	,,
3.	भंवरलाल पुत्र बस्तीमल सा. पीपाड़ तह. बिलाड़ा	27/सी.	115)	,,
4.	छतरसिंह पुत्र जयसिंह सा. शिव तह. जोधपुर	27/डी.	115)	,,
5.	पाबूदान पुत्र किशोरदान सा. मारवाड़ जंक्शन	27/ई.	115)	,,
6.	प्रेम प्रकाश पुत्र सोहनलाल सा. जोधपुर	27/एफ.	115)	,,
7.	बचनदान पुत्र भूरदान चारण सा. बोरून्दा त. बिलाड़ा	27/जी.	115)	,,
8.	खेमसिंह पुत्र महेदान चारण सा. बडी त. बिलाड़ा	27/एच.	115)	,,
9.	हरीसिंह पुत्र श्री किशन सा. जोधपुर	27/आई.	115)	,,
10.	रामसिंह पुत्र मंगाराम विश्नोई सा. बिलाड़ा	27/जे.	115)	,,
11.	प्रीतमसिंह पुत्र पूर्णसिंह सा. जोधपुर	27/के.	115)	,,
12.	बन्शीलाल पुत्र खूबचन्द सा. तखतगढ़	27/एल.	52।।।)4	,,
		227/एल.	62)1	,,
13.	हरीसिंह पुत्र गोपसिंह सा. सिनला तह. खारची	27/एम.	52।।।)4	,,
		227/एम.	62)1	,,
14.	सम्पतराम पुत्र प्रेमराज ओसवाल सा. पीपलिया त. रायपुर	227/ओ.	115)	,,
15.	धर्मीचन्द पुत्र छगनलाल सा. भूठा तह. रायपुर	227/एन.	115)	,,

Page No.68

परिशिष्ट—7

(तारांकित प्रश्न संख्या 646 की सूची)

तालिका (क)

श्री विक्रमसिंह चौधरी, सहायक शस्य विज्ञानी, श्री गंगानगर ने कहां कहां कार्य किया उसका विवरण

1. दिनांक 25-8-66 से 16-7-68 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्री गंगानगर
2. 17-7-68 से 11-5-69 कृषि अनुसंधान क्षेत्र, यू.एन.डी.पी. फार्म; हनुमानगढ़
3. 12-5-69 से आज तक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्री गंगानगर

— —

परिशिष्ट—४

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीकानेर में ऊन का उत्पादन

651. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर ऊन उत्पादन की दृष्टि से एवं बीकानेर शहर ऊन के क्रय-विक्रय हेतु राजस्थान की सबसे बड़ी मण्डी है।

(2) क्या सरकार उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुई पांचवी योजना में भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर जिले में इन्टन्सिव शीप डवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? अगर हाँ, तो क्या यह प्रोजेक्ट योजना के प्रथम वर्ष में ही प्रारम्भ किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं। बीकानेर क्षेत्र में मगरा नस्ल की भेड़ का शंकर प्रजनन कार्यक्रम लाभदायक नहीं समझा गया है। अतः कोई भी इन्टेनन्सिव शीप डवलपमेंट प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में पाँचवी पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित नहीं है।

मोमासर पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच

652. श्री रामकिशन (भरतपुर), श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोमासर पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री दुलाराम मांचू के विरुद्ध कई पंचों, नागरिकों, डिप्टी डी. डी. ओ., जिलाधीश तथा राज्य सरकार को पंचायत का सामान हड़पन, पंचायत की सम्पत्ति अपने घर ले जा कर स्वयं की बना लेने, गबन करने, फर्जी पेमेन्ट उठाने, गैर कानूनी व अनियमित कार्यवाहियाँ करने, पद का दुरुपयोग करने जैसी गंभीर अनेक शिकायतें की हुई हैं यदि हाँ, तो कब कब ? क्या वर्तमान सरपंच ने भी अनेक गंभीर शिकायतें इसके विषय की हैं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) इन शिकायतों में से कितनी अभी तक डी. डी. ओ. और जिलाधीश के पास बिना जाँच के ही पड़ी हुई हैं ? कितनी उन अधिकारियों द्वारा जाँच करके राज्य सरकार को कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं और कब ? जो राज्य सरकार के पास बिना कार्यवाही के पड़ी हैं वे कितनी हैं और कब से पड़ी हैं।

(3) इतनी गंभीर शिकायतें होते हुए भी एक साथ मुकम्मिल जाँच करके कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? जब इस सरपंच के विरुद्ध कई मामले तुरन्त पुलिस में देने योग्य हैं फिर भी पुलिस में न देने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि गाँव में चोरी और मारपीट तथा गुन्डागर्दी के भी इसके विरुद्ध कई मामले हैं जिन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। वर्ष 1967 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से राज्य सरकार

(श्री पंचायत मंत्री)

को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी नियमानुसार अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी से जाँच करवाई गई। उनकी जाँच रिपोर्ट अब राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और सरपंच को अंतिम निर्णय हेतु सुनवाई का मौका 10-4-74 का दिया हुआ है। दो शिकायतें वर्तमान सरपंच द्वारा जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी चूरू का की गई थी उनमें से एक शिकायत की जाँच तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ कर रहे हैं एवं दूसरी शिकायत को अधीक्षक आरक्षी चूरू को वास्ते जाँच भेजी हुई है। जाँच कार्यवाही चालू है।

(2) कोई भी शिकायत अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी एवं जिलाधीश के पास बिना जाँच पैन्डिंग नहीं है। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी एवं जिलाधीश, चूरू को जो दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें से एक शिकायत जाँच हेतु तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ को दिनांक 22-10-73 को भेजी जा चुकी है तथा दूसरी शिकायत की जाँच आरक्षी मंडल (एस. पी.) चूरू के पास चालू है। केवल एक शिकायत जो राज्य सरकार को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के माध्यम से 1967 में प्राप्त हुई थी जिस पर नियमानुसार जांच किये जाने के बाद अन्तिम निर्णय हेतु सुनवाई के लिये 10-4-74 निश्चित है।

एक अन्य शिकायत की जाँच रिपोर्ट जिलाधीश से राज्य सरकार को 4-9-68 को प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर श्री दुलाराम सरपंच को दिनांक 28-7-72 को पद से पृथक् किया गया इस पर श्री दुलाराम सरपंच द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 13-11-72 को प्राप्त किया गया। उच्च न्यायालय से अन्तिम निर्णय होने पर ही आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) श्री दुलाराम सरपंच, मोमासर के विरुद्ध एक साथ सारी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं। जब जब शिकायतें प्राप्त हुई जाँच कार्यवाही की गई। शिकायतों की जाँच चालू है। अधीक्षक आरक्षी, चूरू के पास भी जाँच कार्यवाही चालू है।

(4) विभाग के पास ऐसी शिकायतों की जानकारी नहीं है।

दौसा तहसील में खाद का वितरण

654. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील दौसा में वर्तमान रबी की फसल में कितना खाद व बीज पंचायत समिति दौसा को दिया गया? किस्मवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खाद व बीजों का वितरण किस किस डीलर अथवा संस्था के द्वारा कब कितना व किस किस कृषक को किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वितरण सन्तोषजनक मात्रा में किया गया?

उत्तर

(1) वर्तमान रबी में दौसा चायत समिति को जो खाद बीज दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) डीलरवार कितना कितना, कौन कौनसा खाद कृषकों को दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। कृषकों की कुल संख्या 6069 है।

(3) खाद व बीज की उपलब्धि पूरे राज्य में कम रही, अतः वितरण असन्तोष-जनक होना स्वाभाविक ही है।

Statement showing the details of total receipt and distribution of seed in rabi 1973-74 in Panchayat Samiti Dausa

SEEDS

Name of seed with quality	Quantity of seed recd. in P. S. Dausa from Sept. 1973 to Feb., 1974	(Qty. in Qtl.) Seed supplied	Agncey
Wheat R.S. 31-1	21	21	
Sonalika-Truthful levelled	15 Qtl.	15 Qtl.	
Sonalika-Certified	8 Qtl.	8 Qtl.	
	44 Qtl.	44 Qtl	

FERTILIZRS

(Qty in Bags)

Name of agency through which fertilizer was distributed in P. S. Dausa	Name of fertilizer	Fertilizer recd. from Sept. 73 to Feb., 1974	Fertilizer distribution in rabi '74
1	2	3	4
1. Kraya Vikraya Sangh, Dausa	Urea	2200	2187
2. -do-	C. A. N.	2823	2251

Page No.72

1	2	3	4
3. Vishal Agency, Dausa	Urea	1189	498
4. Kisan Khad Bhandar	C. A. N.	2579	1165
5. Babulal Premchand Dausa	Urea	986	986
6. Radheyshyam Rameshwar Lal	Urea	1106	935
7. Premchand Paraskumar	Urea	741	741
8. Industrial Chemical and plastic works.	Urea	1809	1604
9. Mamodia Brothers	C. A. N.	84	84
10. Prem Agro Service Centre	C. A. N.	138	138
11. -do-	Urea	422	428
12. Ram Agro Service Centre	Urea	160	160
	Total	142.43	111.57

पत्ता तेन्दू को खरीद

655. श्री र साद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष (74-75) में पत्ता तेंदू की बिक्री व तुड़वाने का कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जावेगा और पंचायत क्षेत्र का भी पत्ता तेंदू वन विभाग द्वारा किया जावेगा ?

(2) पंचायत क्षेत्र के तेंदू से होने वाली आमदनी पंचायतों को किस तरह दी जावेगी ?

(3) जिला झालावाड़ में कहां कहां खरीद व बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(1) जी नहीं। राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले में गन्ने का उत्पादन

656. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या बूंदी जिले में गन्ना उत्पादकों को डी. ए. पी. खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(2) क्या बूंदी जिला कृषि अधिकारी के पास डी. ए. पी. खाद काफी मात्रा में वितरण हेतु उपलब्ध है ?

(3) यदि हां, तो कितना है ? तथा इसकी वितरण व्यवस्था किन किन माध्यमों से होती है ? तथा इस समय जो गन्ना उत्पादक डी. ए. पी. खाद के लिए परेशान हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर मानी जाती है ?

(4) क्या वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे किसानों एवं गन्ना उत्पादकों को सीधा खाद सुविधा से समय पर बिना परेशानी के मिल सके ? यदि हां, तो किस तरह ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जिला कृषि अधिकारी, बूंदी के पास 1267 टन डी. ए. पी. खाद मौजूद है। यह खाद निम्न माध्यमों द्वारा वितरण किया जाता है।

(क) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बूंदी।

(ख) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, केशवरायपाटन।

(ग) शर्मा एग्रो सर्विस सेन्टर, तालेड़ा।

(घ) पारीक एग्रो सर्विस सेन्टर, बूंदी

(च) जनता एग्रो सर्विस सेन्टर, केशोरायपाटन।

कृषकों को डी. ए. पी. खाद न मिलने का कारण क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बूंदी की वित्तीय साधनों का अभाव है।

(4) राज्य सरकार द्वारा खाद वितरण की नयी प्रणाली 1-4-74 से लागू की जावेगी जिससे किसानों को पंचायत के मुख्यावास पर खाद मिल सकेगा।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 418 की सूची)

सूची जिन व्यक्तियों को सिंचाई कूप निर्माण हेतु पंचायत समिति, नोखा द्वारा पंचायत समिति बनी तब से अब तक ऋण दिया गया

क. सं.	नाम व्यक्ति जिसे ऋण दिया गया	गांव का नाम	दी गई राशि	राशि देने का वर्ष	विशेष विवरण (कार्य पूरा हो चुका है या नही सिंचाई हो रही है या नहीं)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री फूसेखां S/o सरदारखां कायमखानी	मैनसर	4000.00	60-61	कार्य नहीं करवाने से समस्त राशि मय ब्याज के वसूल हो चुकी है।
2.	श्री डूंगरदास S/o नारायणदास साद	विलनियासर	4000.00	63-64 से 64-65	कार्य पूरा करवाया जा चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
3.	श्री हठीसिंह S/o हरिसिंह राजपूत	मैनसर	4000.00	62-63 से 64-65	कार्य न करवाने से समस्त राशि मय ब्याज वसूल हो चुकी है।
4.	श्री जेसूसिंह S/o बालसिंह राजपूत	गुन्दूसर	4000.00	63-64 से 65-66	कार्य पूरा हो चुका है, सिंचाई नहीं हो रही है।
5.	श्री धन्नाराम S/o चान्दाराम जाट	विलनियासर	2000.00	65-66	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
6.	श्री रामप्रताप S/o प्रभूराम जाट	दूदावास	4000.00	65-66 से 67-68	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।

Page No.75

7.	श्री अन्नादास S/o किसनदास साद	बिलनियासर	3600.00	65-66 से 68-69	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
8.	श्री भगवानाराम S/o सुखाराम जाट	उतमादेसर	2000.00	66-67	कार्य न करवाने से राशि मय ब्याज वसूल की जा चुकी है।
9.	श्री मूलाराम S/o सगराराम मेघवाल	थावरिया	4000.00	66-67 से 67-68	कार्य करवाया जा चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
10.	श्री सागरनाथ चेला S/o गंगानाथ साद	बिलनियासर	4000.00	67-68	कार्य न करवाने से समस्त राशि मय ब्याज वसूल हो चुकी हैं।
11.	श्री गिरधारीलाल S/o बीजांराम भोपिया	बादनू	4000.00	68-69	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई हो रही है।
12.	श्री पाबूराम S/o रूघाराम जाट	रामसर	4000.00	68-69	कार्य हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
13.	श्री रिवताराम S/o मानाराम जाट	जसरासर	4000.00	68-69	कार्य नहीं करवाया गया है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
14.	श्री सुमेरसिंह S/o जोरावरसिंह राजपूत	मूंदड़	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
15.	श्री मानसिंह S/o हीरसिंह पुरोहित	हियादेसर	7200.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुआ है सिंचाई नहीं हो रही है।
16.	श्री शंकरपुरी S/o मोतीपुरी	सूरपुरा	5400.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुआ है सिंचाई नहीं हो रही है।
17.	श्री मंगलचन्द S/o रामलाल भट्टड़	चरकड़ा	7200.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई हो रही है।
18.	श्री माधोसिंह S/o अजीतसिंह	कक्कू	7200.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
19.	श्री कालूराम S/o अर्जुनराम मेघवाल	सूरपुरा	3200.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुआ है सिंचाई नहीं हो रही है।

1	2	3	4	5	6
20.	श्री हरीराम S/o हरजीराम मेघवाल	मैनसर	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिचाई हो रही है।
21.	श्री जसवन्तसिंह S/o बालसिंह	गुन्दूसर	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
22.	श्री शंकरलाल S/o कुशलाराम विश्नोई	सलूड़िया	7200.C0	69-70	कार्य पूरा नहीं हुआ है सिचाई नहीं हो रही है।
23.	श्री हरजीराम S/o नथाराम जाट	भांडेली	7200.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
24.	श्री कालूसिंह S/o जीवणसिंह राजपूत	मैनसर	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
25.	श्री बगसाराम S/o कुंभाराम जाट	थावरिया	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
26.	श्री भंवरलाल S/o अखाराम ब्राह्मण	नोखागांव	5400.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुवा है सिंचाई नहीं हो रही है।
27.	श्री मोहनलाल S/o आसूराम व श्री हरिशंकर S/o गोपीराम ब्राह्मण	सूरपुरा	3600.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुवा है सिंचाई नहीं हो रही है।
28.	श्री जेठाराम व शंकरलाल S/o कानाराम ज्योतिषि	सोमलसर	7200.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिचाई हो रही है।
29.	श्री नारायणनाथ S/o खेतनाथ	नांथूसर	5400.00	69-70	कार्य पूरा नहीं हुआ है सिंचाई नहीं हो रही है।
30.	श्री मूलाराम S/o सगराराम मेघवाल	थावरिया	3600.00	69-70	कार्य पूरा हो चुका है सिंचाई नहीं हो रही है।
			1,35,400.00	...	

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, नोखा (जिला बीकानेर)

तेल दलिया वितरण सूची, जो जुलाई, 1972 से दिसम्बर 1973 तक वितरण किया

क्र. सं. 1	पाठशाला का नाम 2	छात्रा संख्या 3	दलिया थैले 4	तेल टीन 5
1.	कबलीसर	38	40	68
2.	शेखासर	80	59	103
3.	हुंसासर	50	28	47
4.	कक्कू	100	141	144
5.	साधूना	110	75	135
6.	सुथारों की ढ़ाणी	86	90	162
7.	सारुण्डा	65	79	130
8.	भादला	198	178	305
9.	शोभाना	175	108	165
10.	माण्डेलिया	73	18	30
11.	वासी	87	86	148
12.	चिताना काहिरा	83	74	127
13.	चिताना	106	111	204
14.	केड़ली	152	145	259
15.	शिवरों की ढ़ाणी	90	87	153
16.	टांट	104	90	162
17.	दावा	147	174	306
18.	सीलवा	104	134	235
19.	गोदारों की ढ़ाणी	120	113	43
20.	चरकड़ा	86	101	187
21.	रोड़ा	180	118	227
22.	कुदसू	185	134	268
23.	उदासर	125	68	124
24.	पांचू-की-ढ़ाणी	123	44	67
25.	पांचू कन्या	60	37	74
26.	नाथूसर	82	76	128

Page No.78

1	2	3	4	5
27.	सांईसर	66	37	65
28.	सांईसर की ढ़ाणी	45	21	36
29.	घरनोक	79	60	102
30.	कुम्भासरिया	77	68	118
31.	रातड़िया	48	48	87
32.	साठिका	49	29	55
33.	ढींगसरी	87	52	98
34.	किसनासर	80	77	145
35.	हियां देसर	178	123	210
36.	नोखा गाँव	177	103	193
37.	मान्यणा	197	197	334
38.	देसलसर	36	27	45
39.	जांगलू	21	12	24
40.	बंधाला	98	132	243
41.	मूंजासर	60	23	31
42.	जे. मगरा कन्या	20	3	6
43.	पिथरासर	144	158	283
44.	जेगला	168	148	257
45.	रासींसर Boys	97	127	230
46.	रासीसर कु.	124	30	60
47.	पारवा	50	46	83
48.	उड़सर	94	92	166
49.	साजनवासी	95	87	156
50.	कुरजड़ी	45	48	87
51.	सिनियाला	142	125	235
52.	लालासर	53	46	83
53.	मेहरामसर	96	51	87
54.	मेग्रसर	29	33	57
55.	बनिया	145	110	193
56.	कुचोर श्राथुनी	46	22	44
57.	कुचोर श्रगुनी	112	110	220
58.	बिदासरिया	85	91	170
59.	लालम देसर बड़ा	65	57	99

1	2	3	4	5
60.	लालम देसर छोटा	68	70	122
61.	उत्तमाम देसर	80	54	90
62.	साधासर	94	64	128
63.	मसूरी	49	66	44
64.	जसरासर कन्या	59	92	123
65.	माडिया	127	118	218
66.	सोमलसर	123	108	198
67.	दासनू	100	35	55
68.	मुकाम	137	73	125
69.	मैयासर	46	25	38
70.	हिमाटस	60	47	98
71.	अंखीसर	140	97	194
72.	काकड़ा	323	404	719
73.	बेरासर कन्या	63	36	63
74.	सिन्धू	107	124	218
75.	गजरूप देसर	75	44	88
76.	सोवा	180	87	132
77.	मोर खाना	70	48	75
78.	किरतासर	36	34	59
79.	सिंज गुरू	135	160	278
80.	घटटु	75	115	218
81.	सुरपुरा	85	63	126
82.	सलूण्डिया	95	98	178
83.	धूपालिया	39	28	50
84.	जेसलसर	66	72	129
85.	गुन्दू सर	55	34	59
86.	ढ़ाणी भादवान	70	57	96
87.	थावरिया	74	49	108
88.	झाड़ेली	120	153	279
89.	मेनसर	73	70	122
90.	मूदड़ा	54	38	67
91.	बगसेऊ	75	85	158
92.	बिलनियासर	105	68	128

1	2	3	4	5
93.	गजसुख देसर	130	81	144
94.	जोरावर पुरा	203	284	500
95.	बीकासर	138	79	144
96.	रायसर	63	69	120
97.	बिरमसर	72	66	144
98.	खारा	94	86	142
99.	सेठिया	344	350	634
100.	रासीसर हनु.	95	83	133
101.	मोहनपुरा	179	215	391
102.	दूदासर	136	61	104
103.	किसनासर	36	12	15
104.	बासी मेगवाल	40	12	15
		योग :	8831	15762

शुद्धि पत्र

(मंगलवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1974)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
6	ऊपर से 17	कीमत और बाजार	कीमत, बाजार
20	ऊपर से 7	क्या आप पद्मादेवी	क्या पद्मादेवी
20	ऊपर से 8	ओझा सेटिलमेन्ट	ओझा के नाम सेटिलमेन्ट
20	ऊपर से 18	नाम पर उनको	नाम पर थी, उनको
29	ऊपर से 2	हैं उनके लिए खनिज	हैं खनिज
30	नीचे से 6	विधेयक	विषयक
32	नीचे से 5	हैं वह हमेशा सतर्क ा	हैं स्थितियों
32	नीचे से 3	हुए यह	हुए उनमें यह
34	ऊपर से 2	में नहीं	में समय पर नहीं
36	नीचे से 9	पुलिसे जो	पुलिस द्वारा जो
39	ऊपर से प्रथम	(शिक्षा मंत्री)	(श्री खेतसिंह)
43	ऊपर से प्रथम	(राज्य मंत्री राजस्व)	(श्री मूलचन्द मीणा)
58	ऊपर से आठ के बाद	—	(सूची प्राप्त नहीं हुई)
100	ऊपर से 4	मिलने	दिलाने
114	ऊपर से 9	विक्षोभ	विक्षेप

————